राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लिए लाइसेंस करार

लाइसेंस संख्या .....

लाइसेंस करार

यह करार भारत के राष्ट्रपति की ओर से ..... दिन ..... माह .....वर्ष को श्री..... (नाम), निदेशक (बीएस), दूरसंचार विभाग, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (जिसे इस करार में इसके बाद लाइसेंस प्रदाता कहा जाएगा), **प्रथम पक्ष**

तथा

मैसर्स ..... लिमिटेड, जो कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक पंजीकृत कंपनी है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय ..... में हैं, की ओर से श्री ..... प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (जिसे इस करार में इसके बाद **लाइसेंसधारक** कहा जाएगा, जिसका आशय, जब तक कि विषय-वस्तु से अन्यथा कुछ भिन्न न हो, व्यवसाय में उसके उत्तराधिकारी, प्रशासकों, परिसमापकों, और समनुदेशितों या विधिक प्रतिनिधियों से भी होगा) **द्वितीय पक्ष** के बीच किया गया है।

जबकि, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के खंड 4 के उपबंधों के अनुसार, **लाइसेंसदाता** को लाइसेंस प्रदान करने का विशेषाधिकार प्राप्त है तथा **लाइसेंसधारक** ने भारत की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर **राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा नेटवर्क** जिसे इसके बाद **"एनएलडी** सेवा नेटवर्क कहा जाएगा, संस्थापित करने, प्रचालित करने और अनुरक्षित करने तथा **राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा** जिसे इसके बाद **"एनएलडी सेवा"** कहा जाएगा, प्रदान करने के लिए लाइसेंस हेतु अनुरोध किया है।

और जबकि, लाइसेंसधारक के उक्त अनुरोध के अनुसरण में, **लाइसेंसदाता**, इसके बाद प्रस्तुत निबंधन और शर्तों पर राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा को संस्थापित करने, प्रचालित करने और अनुरक्षित करने के लिए **लाइसेंसधारक** को **राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा लाइसेंस** प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह करार निम्न के साक्ष्य स्वरूप है :-

1. लाइसेंस शुल्क के भुगतान और **लाइसेंसधारक** की ओर से यहाँ संलग्न **अनुसूची-I** में उल्लिखित सभी निबंधन और शर्तों के सम्यक निष्पादन को ध्यान में रखते हुए, **लाइसेंसदाता** एतद्द्वारा भारतीय तार अधिनियम 1885 के खंड 4 के तहत **लाइसेंसधारक** को देश की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर **एनएलडी** सेवा नेटवर्क **के संस्थापन,** प्रचालन और अनुरक्षण और **एनएलडी** सेवा प्रदान करने हेतु, गैर-अनन्य आधार पर, लाइसेंस प्रदान करता है।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त **लाइसेंस** यहाँ ऊपर उल्लिखित खंड (1) के अध्यधीन प्रभावी तिथि से **20 (बीस) वर्ष** की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि किसी कारण से इसे पहले रद्द न किया जाए।

3. **लाइसेंसधारक** एतद्द्वारा **लाइसेंस** करार में निर्धारित सभी निबंधन और शर्तों पर किसी संशोधन और शर्तों के बिना सहमति देता है और उनको पूर्ण रूप से पालन करने का स्पष्ट वचन देता है।

4. जब तक विषय-वस्तु से अन्यथा उल्लिखित या संदर्भ से प्रतीत न हो, एतद्द्वारा संलग्न आवेदन प्रपत्र सहित राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देश इस करार का अभिन्न अंग होंगे। परंतु, तथापि, विरोध भाषा और असंगतता की स्थिति में, अनुसूचियों और अनुबंध के साथ पठित इस करार के मुख्य भाग मे उल्लिखित शर्तें प्रभावी होंगी।

5. **लाइसेंस** की प्रभावी तिथि वह तारीख होगी जिस तारीख को लाइसेंस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने ..... (दिन) ..... (माह) ..... (वर्ष) को एतद्द्वारा अपने-अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस करार का निष्पादन किया है।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से हस्ताक्षरित

श्री .....
(नाम)

श्री .....
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के द्वारा, निदेशक मंडल द्वारा पारित दिनांक ..... के संकल्प सं0 ..... के अनुसरण में मैसर्स ..... की ओर से हस्ताक्षरित

निम्न की उपस्थित में :

1. हस्ताक्षर
   नाम
   व्यवसाय
   पता
   स्थान

2. हस्ताक्षर
   नाम
   व्यवसाय
   स्थान
   पता

अनुसूची-I
निबंधन और शर्तें

1. लाइसेंसधारक कंपनी का स्वामित्व

1.1. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी), अमेरिकन डिपाजिटरी रिसीट्स (एडीआर), ग्लोबल डिपाजिटरी रिसीट्स (जीडीआर), परिवर्तनीय अधिमान शेयरों, भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कंपनियों में तथा उनकी धारणाधिकार (होल्डिंग) वाली कंपनियों में अनुपातिक विदेशी निवेश आदि द्वारा किए गए निवेशों सहित कुल मिश्रित विदेशी धारणाधिकार, जिसे बाद में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहा गया है, 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस प्रकार 74 प्रतिशत का विदेशी निवेश प्रचालन कंपनी मे प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी धारणाधिकार वाली कंपनी के माध्यम से किया जा सकता है और बकाया 26 प्रतिशत पर निवासी भारतीय नागरिकों अथवा किसी भारतीय कंपनी का स्वामित्व रहेगा (अर्थात् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और उसका प्रबंधन भारतीय मालिकों का रहेगा)। यह स्पष्ट किया जाता है कि 74% की अधिकतम सीमा की दृष्टि से इस प्रकार की भारतीय कंपनी के अनुपातिक विदेशी घटक की गणना भी की जाएगी। तथापि, भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको तथा भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के कुल धारणाधिकार में विदेशी घटक को "भारतीय धारणाधिकार" के रूप में माना जाएगा । **लाइसेंसधारक** से यह अपेक्षित होगा कि अर्धवार्षिक आधार पर इस प्रकार के विदेशी धारणाधिकार की स्थिति का खुलासा करे और यह प्रमाणित करे कि विदेशी निवेश 74% की अधिकतम सीमा के भीतर है।

1.2 अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सहित निदेशक मंडल के अधिकांश सदस्य निवासी भारतीय नागरिक होंगे। इन पदों पर निवासी भारतीय नागरिकों की नियुक्ति वास्तविक भारतीय निवेशकों के परामर्श से की जाएगी। वास्तविक निवेशकों की परिभाषा नीचे पैरा 1.7 (i) में दी गई है।

1.3 शेयर धारक करार में विशेषकर इस शर्त का उल्लेख किया जाएगा कि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और सीईओ सहित निदेशक मंडल के अधिकांश निदेशक निवासी भारतीय नागरिक हों और साथ ही उसमें लाइसेंस करार के अनुपालन की शर्तें भी उल्लिखित होंगी।

1.4 49 प्रतिशत तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमैटिक मार्ग पर जारी रहेगा। **लाइसेंसधारक** कंपनी/भारतीय प्रोमोटर कंपनियों/निवेशी कंपनियों और उनकी नियंत्रक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यदि 74 प्रतिशत की समग्र सीमा के अधीन किया जाता हो तो उसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा । निवेश प्रस्तावों को अनुमोदित करते समय एफआईपीबी इस बात का ध्यान रखेगा कि निवेश शत्रु देशों से नहीं आ रहा है।

1.5 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के निवेशगत अनुमोदन में यह शर्त भी शामिल होगी कि कंपनी लाइसेंस करार का अनुपालन करेगी।

1.6 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारतीय कानून के अध्यधीन होगा, न कि किसी अन्य देश/देशों के कानूनों के।

1.7 (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि निवासी भारतीय शेयरों में कम से कम एक वास्तविक निवासी भारतीय प्रवर्तक द्वारा एक युक्तियुक्त राशि का निवेश किया जाए, ऐसे निवासी भारतीय प्रोमोटर के पास **लाइसेंसधारक** कंपनी के कम से कम 10% शेयर होंगे।

(ii) कंपनी लाइसेंस करार के अनुपालन को अभिस्वीकृति प्रदान करेगी जो कंपनी के संगम ज्ञापन का एक हिस्सा होगा। लाइसेंस करार के किसी भी प्रकार के उल्लंघन का स्वतः ही यह अर्थ होगा कि कंपनी इस संबंध में अपने कार्यभार को वहन करने में सक्षम नहीं है। लाइसेंस करार के अनुपालन को संस्था के संगम ज्ञापन का एक भाग भी घोषित किया गया है।

(iii) मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ)/मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) अनिवार्यतः निवासी भारतीय नागरिक होंगे। **लाइसेंसदाता** निवासी भारतीय नागरिकों द्वारा धारित मुख्य पदों को अधिसूचित भी कर सकता है। **लाइसेंसधारक** कंपनी **लाइसेंसदाता** को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को ऐसे अधिकरियों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता से अवगत कराएगी।

(iv) कंपनी भारत से बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को निम्नलिखित सूचना प्रदान नहीं करेगी।

(क) उपभोक्ता से संबधित कोई आंकड़ागत सूचना (रोमिंग एवं बिलिंग को छोड़कर) (टिप्पणीः यह सांविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय प्रकृति के खुलासे को प्रतिबंधित नहीं करता है) ;

(ख) प्रयोक्ता सूचना (रोमिंग के दौरान भारतीय प्रचालक के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं से संबंधित सूचना को छोड़कर); और

(ग) गैर-प्रकटन करार पर हस्ताक्षर करने पर जो दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिदाता/विनिर्माण **लाइसेंसधारक** कंपनी की अवसंरचना की संस्थापना, प्रवर्तन आदि कार्य उनको छोड़कर उनकी अवसंरचना/नेटवर्क आरेख संबंधी विस्तृत जानकारी।

(v) कंपनी द्वारा भारत से बाहर के सेवा प्रदाताओं के साथ रोमिंग करार किए जाने के बाद मांगे जाने पर ऐसे प्रयोक्ताओं की सूची अवश्य प्रदान करनी चाहिए। (रोमिंग के दौरान भारतीय प्रचालक नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं के संदर्भ में टेलीफोन संख्या)।

(vi) कंपनी को अपने उपभोक्ताओं की खोजने योग्य पहचान अवश्य देनी चाहिए। तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग उपभोक्ता को सेवा प्रदान करने की स्थिति में, भारतीय कंपनी अपने रोमिंग करार के भाग के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग उपभोक्ताओं को खोजने योग्य पहचान प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

(vii) भारत से भारत के भीतर किए जाने वाले किसी कॉल के परियात (मोबाइल एवं लैंडलाइन) को भारत से बाहर किसी स्थान पर नहीं भेजा जाएगा। इस प्रयोजनार्थ घरेलू परियात के लिए सुविधा प्रदान करने वाले उपग्रहों की अवस्थिति को भारत के बाहर नहीं माना जाएगा।

(viii) **लाइसेंसधारक** द्वारा किसी अनुरक्षण/मरम्मत हेतु देश से बाहर किसी उपस्कर विनिर्माता या अन्य किसी एजेंसी को कोई दूरस्थ अभिगम (आरए) नहीं प्रदान किया जाएगा। तथापि, आपाती सॉफ्टवेयर विफलता (बूट अप इत्यादि नहीं करने जैसी विफलता), जिसमें दीर्घावधि के लिए नेटवर्क का बड़ा हिस्सा अकार्यशील हो जाता है, के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन दूरस्थ अभिगम प्रदान करने की अनुमति दी जा सकती है :-

(क) जब दूरस्थ अभिगम (आरए) प्रदान किया जाना हो तो (आसूचना ब्यूरो) और **लाइसेंसदाता** को अधिसूचित किया जाएगा।

(ख) दूरस्थ अभिगम्यता पासवर्ड का उपयोग, एक निश्चित अवधि तथा केवल मूल उपस्कर विनिर्माता (ओईएम) विक्रेताओं की पूर्व-अनुमोदित अवस्थिति से अभिगम्यता प्राप्त करने और केवल उन उपस्करों के लिए किया जाएगा, जिनका विशिष्ट रूप से मरम्मत/रखरखाव का कार्य चल रहा है।

(ग) दूरस्थ अभिगम्यता का नियंत्रण अर्थात् एक्टिवेशन, आंकड़ों का हस्तांतरण, समाप्ति इत्यादि देश के भीतर ही होगा, देश के बाहर किसी दूरवर्ती स्थान, विदेश में नहीं।

(घ) ऑन-लाइन निगरानी करने हेतु लेन-देन दर्ज करने के लिए सरकारी एजेंसी को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी।

(ङ) किसी भी उपस्कर या सॉफ्टवेयर जो समग्र निगरानी का हिस्सा है, को किसी भी परिस्थिति में दूरस्थ अभिगम्यता की अनुमति नहीं होगी।

(च) लाइसेंस प्रदाता, आपाती सॉफ्टवेयर विफलता, नेटवर्क का मुख्य हिस्सा और दीर्घ अवधि जैसी इस खंड के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दावली को ठीक प्रकार से पारिभाषित करेगा।

(ix) लाइसेंस प्रदाता इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी **लाइसेंसधारक** कंपनी को किसी भी संवेदेनशील क्षेत्र में प्रचालन करने के लिए प्रतिबंधित कर सकता है।

(x) "वॉयस और डेटा" को गुप्त रखने हेतु निगरानी केवल केंद्रीय गृह सचिव या राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिव द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर की जाएगी।

(xi) परियात की निगरानी करने हेतु, **लाइसेंसधारक** कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क की उन्मुक्त अभिगम्यता तथा अन्य सुविधाओं के साथ-साथ खाता बहियां भी प्रदान करेगी।

(xii) यदि पैरा 1.1 से 1.7 में परिकल्पित लाइसेंस शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो कंपनी को प्रदत्त लाइसेंस (लाइसेंसों) को रद्द समझा जाएगा और **लाइसेंसदाता** को कार्यनिष्पादन बैंक गारंटियों को भुनाने का अधिकार होगा तथा **लाइसेंसदाता** किसी भी प्रकार की हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

1.8 उपर्युक्त पैरा 1.7 में उल्लिखित शर्तें दूरसंचार सेवा (सेवाओं) का प्रचालन करने वाली उन कंपनियों के लिए भी लागू होंगी, जिनकी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 49% थी।

लाइसेंसधारक कंपनी में भारतीय एवं विदेशी ईक्विटी धारिताओं , जिसके संबंध में लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर किए जाने की तिथि को कंपनी द्वारा बताया गया था, का ब्यौरा निम्नवत है :

भारतीय ईक्विटी .....
विदेशी ईक्विटी .....

लाइसेंसधारक कंपनी उपर्युक्त सूचना के बारे में **लाइसेंसदाता** को 01 जनवरी एवं 01 जुलाई की स्थिति के अनुसार क्रमशः 7 जनवरी एवं 7 जुलाई को जानकारी देगी। इसे **लाइसेंसधारक** कंपनी के कंपनी सचिव या सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना होगा।

1.9 **लाइसेंसधारक** कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि शेयरधारिता में कोई भी परिवर्तन सभी आवश्यक सांविधिक अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

1.10 **लाइसेंसधारक** कंपनी के नाम में किसी परिवर्तन की अनुमति भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उपबंधों के अनुसार ही दी जाएगी।

1.11 **लाइसेंसधारक** कंपनी का निवल मूल्य और उसकी प्रदत्त पूंजी 2.5 करोड़ रु0 होगी। निवल मूल्य का अर्थ प्रदत्त इक्विटी पूंजी और मुक्त आरक्षित राशि का भारतीय रु0 में कुल योग होगा। प्रवर्तकों के निवल मूल्य की गणना नहीं की जाएगी। निवल मूल्य और प्रदत्त पूंजी को लाइसेंस जारी रहने के दौरान अनुरक्षित रखा जाएगा।

2. लाइसेंस का क्षेत्र

2.1 जैसा कि इस **लाइसेंस** करार के पैरा 2.2 में बताया गया है कि यह **लाइसेंस** गैर-अनन्य आधार पर **सेवा** प्रदान करने के लिए दिया गया है, तथा अन्य भी उक्त सेवा के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं।

परंतु आगे यह, कि **लाइसेंसदाता** हमेशा स्वयं या मनोनीत प्राधिकारी के माध्यम से उस सेवा क्षेत्र में जहां के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है के सहित भारत में कहीं भी **सेवा** के प्रचालन का अधिकार रखेगा।

2.2(क) एनएलडी सेवा का अर्थ स्विच्ड बियरर दूरसंचार सेवा को लंबी दूरी तक वहन करना है तथा एनएलडी सेवा के **लाइसेंसधारक** को अंतरासर्किल परियात को छोड़कर अंतःसर्किल परियात को वहन करने का अधिकार है जिसमें वे परियात शामिल नहीं हैं जिनमें परियात का वहन संदेश को शुरू करने वाले सेवा प्रदाता के साथ पारस्परिक करार द्वारा किया जाता है।

(ख) **लाइसेंसधारक** लंबी दूरी प्रभारण केंद्र और अल्प दूरी प्रारण केंद्र के बीच विभिन्न स्थानों से परियात को आरंभ करने, वहन और सुपुर्दगी के लिए बुनियादी सेवा प्रदाताओं के साथ परस्पर सहमत करार भी कर सकते हैं।

(ग) सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा परियात के मामले में अंतःसर्किल परियात आरंभक/समापक सेवा क्षेत्र में स्तर-I टीएएक्स की अवस्थिति पर एलडीसीए में स्थित प्वाइंट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) पर भेजा/प्राप्त किया जाएगा। पश्चित बंगाल, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के मामलों में ये अवस्थितियाँ क्रमशः आसनसोल, शिमला और जम्मू होंगी।

(घ) **एनएलडी** सेवा के **लाइसेंसधारक** को उपभोक्ताओं के परिसर तक अभिगम प्रदाताओं के साथ लीज्ड लाइनों के लिए अपनी स्वयं की उपयुक्त व्यवस्था/करार करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त, एनएलडी सेवा प्रदाता उपभोक्ताओं के साथ सीधे संपर्क केवल लीज्ड सर्किट/क्लोज्ड यूजर ग्रुप (सीयूजी) उपलब्ध कराने के लिए ही कर सकते हैं। लीज्ड सर्किट को प्वाइंट टू प्वाइंट नॉन स्विच्ड वास्तविक कनेक्शन/ट्रांशमिशन बैंडविड्थ के अतिरिक्त सर्किट या पैकेट स्विच्ड (आईपी प्रोटोकोल) प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) के रूप में परिभाषित किया जाता है। सार्वजनिक नेटवर्क को लीज्ड सर्किट/सीयूजी के साथ संयोजित नहीं किया जाना है। यह स्पष्ट किया जाता है कि एनएलडी सेवा में **लाइसेंसधारक** अन्य दूरसंचार सेवा के लइंसधारकों को भी बैंडविड्थ उपलब्ध करा सकते हैं।

नोट : विभिन्न दूरसंचार सेवा क्षेत्रों, जिन्हें उनके प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र या प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से समय-समय पर आशोधित किया जा सकता है, की सूची अनुबंध-III पर दी गई है।

2.3 **लाइसेंसधारक** का यह दायित्व है कि वह अत्याधुनिक डिजिटल नेटवर्क संस्थापित करके अच्छे मानकों से युक्त उपर्युक्त सेवा उपलब्ध कराए।

3. लाइसेंस की अवधि

यह लाइसेंस ..... (जिसे इसके बाद लाइसेंस की प्रभावी तारीख कहा जाएगा) को प्रवृत्त होगा और प्रभावी तिथि से 20 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा।

4. लाइसेंस अवधि का विस्तार

4.1 यदि उपयुक्त माना जाए तो, **लाइसेंसदाता** लाइसेंस की अवधि को **लाइसेंसधारक** के अनुरोध पर एक बार में 10 वर्ष तक के लिए बढ़ा सकता है बशर्ते कि यह अनुरोध लाइसेंस अवधि के 19 वें वर्ष के दौरान किया गया हो।

5. देय शुल्क :

5.1 इस लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व **लाइसेंसधारक** द्वारा 2.5 करोड़ रु0 का एक मुश्त अप्रतिदेय प्रवेश शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

5.2 उपर्युक्त वर्णित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के 15% की दर से वार्षिक यूएसओ हेतु अंशदान सहित लाइसेंस शुल्क देय होगा। यूएसओ हेतु अंशदान सहित वार्षिक लाइसेंस शुल्क 1.1.2006 से समायोजित सकल राजस्व के 6% की दर पर होगा।

5.3 यह भी उल्लेख किया जाता है कि **लाइसेंसधारक** द्वारा स्पेक्ट्रम के प्रयोग हेतु और वायरलेस टेलीग्राफी उपकरण को प्रयोगार्थ रखने के लिए शुल्क/रॉयल्टी का अलग से भुगतान करना होगा जो बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध (डब्ल्यूपीसी) द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगा जो विभिन्न घटकों जैसेकि फ्रीक्वेंसी, हॉप और लिंक लंबाई, प्रचालन क्षेत्र और अन्य संबंधित पहलुओं पर निर्भर करता है।

6. वार्षिक लाइसेंस शुल्क और अन्य देय राशियों के भुगतान की अनुसूची :

6.1 **लाइसेंस** शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रथम वर्ष की समाप्ति लाइसेंस करार की शुरूआत की तारीख के बाद 31 मार्च को होगी और प्रथम वर्ष के **लाइसेंस** शुल्क का निर्धारण "वर्ष" की वास्तविक अवधि के लिए यथानुपात आधार पर होगा। दूसरे वर्ष से आगे के वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अंग्रेजी कैलेण्डर के 12 महीने का होगा।

व्याख्या : लाइसेंस के प्रथम वर्ष की अंतिम तिमाही और अंतिम वर्ष की अंतिम तिमाही के **लाइसेंस** शुल्क की गणना पूर्ववर्ती तिमाहियों जो प्रायः प्रत्येक तीन महीने की होती है, को छोड़ने के पश्चात दिनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में की जाएगी।

6.2 लाइसेंस शुल्क का भुगतान प्रत्येक वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही किस्तों मे किया जाएगा। **लाइसेंसधारक** द्वारा वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों के लाइसेंस शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान वर्ष की संबद्ध तिमाही के पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना होगा। **लाइसेंसधारक** द्वारा इस लाइसेंस शुल्क का भुगतान, **लाइसेंसधारक** के प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र के साथ विधिवत प्रमाणित करके, बोर्ड संकल्प द्वारा प्राधिकृत सामान्य पावर आफ अटार्नी के साथ तिमाही के लिए वास्तविक राजस्व के आधार पर (प्राप्ति के आधार पर) करना होगा। तथापि, वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के लाइसेंस शुल्क का भुगतान तिमाही के लिए प्रत्याशित राजस्व के आधार पर 25 मार्च तक करना होगा, बशर्ते कि न्यूनतम भुगतान पिछली तिमाही के लिए अदा किए गए राजस्व हिस्से के बराबर हो। निर्धारित तारीख के बाद विलंब से भुगतान के लिए लाइसेंस मे निर्धारित दांडिक उपबंध लागू किए जाएंगे। **लाइसेंसधारक** किए गए भुगतान और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के लिए देय वास्वतिक राशि (प्राप्ति के आधार पर) के बीच अंतर का समायोजन और भुगतान कथित तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर करेगा। **लाइसेंसदाता** को यह अधिकार होगा कि वह **लाइसेंसधारक** की बहियों और लेखाओं का निरीक्षण करे और प्रदत्त लाइसेंस शुल्क की यथार्थता निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र लेखा परीक्षा कराए।

6.3 त्रैमासिक भुगतान **अनुबंध-क** में दिए गए **विवरण** के साथ निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा जिसके साथ राजस्व का परिकलन और पिछली तिमाही के लिए देय लाइसेंस शुल्क दर्शाना होगा। प्रत्येक वर्ष के पूर्वोक्त **विवरणों** की कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 224 के अधीन नियुक्त किए गए **लाइसेंसधारक** के लेखा परीक्षक (जिसे इसके पश्चात **लाइसेंसधारक** का लेखापरीक्षक कहा गया है) से लेखा परीक्षा करानी अपेक्षित होगी। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट **अनुबंध-ख** में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में होनी चाहिए।

6.4 **लाइसेंसधारक** चालू तिमाही के लिए अग्रिम भुगतान सहित पिछली तिमाही के संबंध में किए गए अग्रिम भुगमान और देय वास्तविक राशि (प्रति आधार पर) के बीच अंतर का समायोजन और भुगतान करेगा।

6.5 निर्धारित अवधि के बाद **लाइसेंस** शुल्क अथवा लाइसेंस के अंतर्गत देय कोई अन्य बकाये के भुगतान में किसी प्रकार के विलंब के कारण संबंधित कथित वित्तीय वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क के संबंध में जो दर वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) की शुरूआत में होगी, उसी के अनुसार स्टेट बैंक आफ इंडिया की प्राइम लेंडिंग दर (पीएलआर) से 2% से अधिक दर पर ब्याज लगेगा। ब्याज मासिक आधार पर संयोजित होगा और महीने के कुछ दिनों को ब्याज की गणना के प्रयोजनार्थ पूरा महीना के रूप में गिना जाएगा। महीना अंग्रेजी कलेण्डर के माह के रूप में माना जाएगा।

6.6 वर्ष के **लाइसेंस** शुल्क का अंतिम रूप से समायोजन परवर्ती वर्ष के 30 जून को या उससे पहले कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार **लाइसेंसधारक** के **लेखा-परीक्षकों** द्वारा विधिवत प्रमाणित सकल राजस्व आंकड़ों के आधार पर होगा।

6.7 लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 7(सात) दिनों के भीतर त्रैमासिक विवरणों में दर्शाये आंकड़े और वार्षिक लेखाओं में दर्शाये आकड़ों जिसके साथ प्रकाशित वार्षिक लेखांकन और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि तथा यथा लेखा परीक्षित तिमाही विवरण भी होगा, के बीच सामंजस्य बनाकर प्रस्तुत करना होगा। शर्त 6.3 में यथा निर्धारित वार्षिक वित्तीय लेखा और विवरण **अनुबंध-ग** में यथा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए तैयार करना होगा।

6.8 यदि वित्तीय वर्ष की चारों (4) तिमाहियों के लिए त्रैमासिक **लाइसेंस** शुल्क के रूप में **लाइसेंसधारक** द्वारा स्वमूल्यांकन आधार पर अदा की गई कुल राशि में देय लाइसेंस शुल्क के 10% से अधिक तक कमी आती है तो इस पर कम भुगतान की संपूर्ण राशि का 50% का जुर्माना लगेगा। कम भुगतान की इस राशि, जुर्माना सहित का भुगतान वार्षिक लेखाओं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में **शर्त 6.5** की शर्तों के अनुसार उस पर पुनः ब्याज लगा दिया जाएगा। तथापि, यदि वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से 60 दिनों के भीतर कम भुगतान की राशि का भुगतान कर दिया जाता है, तो कोई जुर्माना नहीं लगेगा।

6.9 उपर्युक्त बिंदु 5.3 में वर्णित शुल्क/रॉयल्टी का भुगतान उस समय और उस प्रकार से किया जाएगा जैसा कि दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीसी स्कंध द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए।

6.10 इस लाइसेंस करार में यथा उल्लिखित संपूर्ण बकाया और देय राशि का **लाइसेंसधारक** द्वारा भुगतान किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट अथवा पे-आर्डर के माध्यम से जो नई दिल्ली में देय हो, वेतन और लेखा अधिकारी (मुख्यालय), दूरसंचार विभाग अथवा किसी अन्य प्राधिकारी, यदि **लाइसेंसदाता** द्वारा ऐसा कोई पदनामित किया जाए, के पक्ष में करना होगा।

6.11 **लाइसेंसदाता** अदा की गई राजस्व हिस्सेदारी का समुचित और सही-सही सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए इसके पहले और इसके बाद में लिखित इस अनुसूची-I की शर्त सं0 6.3,6.7,8.5 और 8.6 में जो कुछ भी कहा गया है, यदि आवश्यक मानता है तो उनमें आशोधन, फेरबदल, प्रतिस्थापन और संशोधन कर सकता है।

7. **वित्तीय शर्तें :**

वित्तीय बैंक गांरटी

7.1 **लाइसेंसधारक** संलग्न निर्धारित प्रपत्र (राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा के लाइसेंस करार में) में भारत के किसी भी अनुसूचित बैंक या ऐसी बैंक गारंटी जारी करने के लिए यथा प्राधिकृत भारत के किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान से एक वर्ष के लिए मान्य वित्तीय बैंक गांरटी प्रस्तुत करेगा। वित्तीय बैंक गारंटी की राशि लाइसेंस शुल्क तथा अन्य भुगतान, जो अन्यथा प्रतिभूति न हो, के रूप में दो तिमाहियों के लिए देय अनुमानित राशि के बराबर होगी। वित्तीय बैंक गारंटी की धनराशि **लाइसेंसदाता** द्वारा आवधिक समीक्षा के अध्यधीन होगी तथा लाइसेंस प्रदाता द्वारा बताई गई राशि के लिए इसका **लाइसेंसधारक** द्वारा समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा। आरंभ में, एक वर्ष के लिए वैध वित्तीय बैंक गारंटी 20 करोड़ रु0 (बीस करोड़ रु0) की राशि के लिए होगी जिसे **लाइसेंस करार** की **प्रभावी तारीख** से एक वर्ष के भीतर परंतु सेवा जारी होने से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। यदि अपेक्षित राशि हेतु निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं की जाती तो सेवा आरंभ नहीं किया जा सकता है।

7.2 स्पेक्ट्रम का उपयोग करने तथा साथ ही बेतार टेलीग्राफी उपस्कर को रखने के लिए शुल्क, तथा रायल्टी को संलग्न निर्धारित प्रपत्र में समतुल्य धनराशि की वित्तीय बैंक गारंटी प्रस्तुत करके अलग से प्रतिभूति की जाएगी, जिसकी वैधता एक वर्ष के लिए होगी, जिसका ऐसी सभी देयताओं का अंतिम रूप से भुगतान करने तक समय-समय पर नवीकरण किया जाएगा।

7.3 **लाइसेंसधारक** वर्ष प्रतिवर्ष आधार पर **लाइसेंसदाता** से कोई मांग अथवा नोटिस प्राप्त किए बिना वित्तीय बैंक गारंटी की अवधि समाप्त होने की तारीख से न्यूनतम एक माह पूर्व समान शर्तों के

लिए उसकी वैधता अवधि स्वयं बढ़ा लेगा। ऐसा करने में किसी चूक से लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन होगा और **लाइसेंसदाता** वित्तीय बैंक गारंटी को भुनाने और उसी के जोखिम और लागत पर **लाइसेंसधारक** को कोई पत्र भेजे बिना इसे नकद प्रतिभूति में परिवर्तित करने का हकदार हो जाएगा। **लाइसेंसदाता** द्वारा ऐसे नकदीकरण पर कोई ब्याज अथवा मुआवजा, कुछ भी हो, नहीं दिया जाएगा।

7.4 **लाइसेंसदाता**, **लाइसेंसधारक** द्वारा लाइसेंस की निबंधन और शर्तों का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने के मामले में अपने अधिकारों का प्रयोग करके किसी पूर्वाग्रह के बिना वित्तीय बैंक गारंटी/गारंटियों को भुना सकता है।

7.5 उल्लेख किया जाता है कि चूंकि लाइसेंस प्रदाता उपर्युक्त खंड 5.3 के उपबंधों के अनुसार **लाइसेंसधारक** द्वारा अप्रैल 2001 से पांच वर्षों की अवधि के लिए कर भुगतान के पश्चात देय निवल राशि के रूप में लाइसेंस शुल्क के रूप में राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान करने के लिए सहमत है, अतः **लाइसेंसधारक** को अप्रैल, 2006 तक वित्तीय बैंक गारंटी प्रदान करने से छूट है।

8. लेखाओं की तैयारी

8.1 **लाइसेंसधारक** सेवा के लिए स्वतंत्र लेखाओं का आहरण, रखरखाव और उन्हें प्रस्तुत करेगा और **लाइसेंसदाता** अथवा **ट्राई** द्वारा जैसा भी मामला हो, समय-समय पर जारी किए गए आदेशों , दिशा-निर्देशों अथवा विनियमों का पूर्णरूपेण अनुपालन करेगा।

8.2 **लाइसेंसधारक** निम्नलिखित कार्य के लिए बाध्य होगा :

(क) लाइसेंस अवधि की पूरी हुई प्रत्येक तिमाही अथवा इससे कम अवधियों जैसा **लाइसेंसदाता** निर्धारित करे, के संबंध में अपने करोबार में लेन-देन को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करने और व्याख्या करने, लागत स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने (पूंजीगत लागत सहित) लाइसेंस के अंतर्गत **लाइसेंसधारक** के कारोबार की राजस्व और वित्तीय स्थिति जिसमें लगाई गई परिसम्पत्तियों का तर्कसंगत मूल्यांकन शामिल है, और राजस्व की मात्रा निर्धारित करने अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु **लाइसेंसधारक** के कारोबार से संबंद्ध अन्य देनदारियों से संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव और संकलन करना।

(ख) पूरे हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में तैयार किए गए उन प्रत्येक लेखांकन विवरणों के बारे में अधिप्रापण, **लाइसेंसदाता** द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में **लाइसेंसधारक** के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह बताना कि क्या उनके विचार से इस शर्त के प्रयोजनार्थ वह विवरण पर्याप्त है और तत्पश्चात **लाइसेंसदाता** को उक्त रिपोर्ट के साथ प्रत्येक लेखांकन विवरणों की प्रतिलिपि उस अवधि, जिससे वे संबद्ध हों, की समाप्ति के पश्चात संप्रेषित करना जो दो महीने से अधिक न हो।

(ग) कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा शपथ-पत्र पर शपथ का प्रमाणित विवरण, जिसमें सेवा से प्रत्येक तिमाही के अर्जित राजस्व का अलग-अलग पूर्ण लेखा विवरण और साथ में परवर्ती तिमाही का भुगतान विवरण भी हो, **लाइसेंसदाता** को संप्रेषित करना।

8.3(क) **लाइसेंसदाता** अथवा **ट्राई**, जैसा भी मामला हो, के पास इस लाइसेंस के अंतर्गत प्रदान की गई सेवा के संबंध में किए गए व्यवसाय के बारे में किसी भी लेखा बही जिसका रखरखाव

लाइसेंसधारक करे, की जांच करने के लिए किसी भी समय मांग करने का अधिकार है और **लाइसेंसधारक** जांच के लिए उन्हें आपूर्ति करने और प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

8.3(ख) **लाइसेंसधारक** निरपवाद रूप से कंपनी के विधिवत लेखा परीक्षित व अनुमोदित लेखाओं के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सभी बिलिंग और अन्य लेखांकन रिकार्डों (इलेक्ट्रॉनिक और हार्डकॉपी) को सुरक्षित रखेगा और इस कार्य में किसी भी कोताही को किसी अन्य उल्लंघन के समान स्वतः वास्तविक उल्लंघन माना जाएगा और यह **लाइसेंस** के निरस्तीकरण के लिए पर्याप्त कारण होगा।

8.4 **लाइसेंसधारक** के रिकार्डों की जांच **लाइसेंसदाता** द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अध्यधीन होगी ताकि **लाइसेंसदाता** को देय उसके राजस्व हिस्सेदारी की धनराशि के स्वतंत्र सत्यापन में सुविधा रहे।

8.5 **लाइसेंसदाता** के विचार में जब यह आए कि प्रस्तुत किए गए विवरण अथवा लेखांकन गलत अथवा भ्रामक हैं तो वह **लाइसेंसधारक** के खर्च पर लेखा परीक्षक नियुक्त करके **लाइसेंसधारक** के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने का आदेश दे सकता है और नियुक्त लेखा परीक्षक/परीक्षकों के पास वही शक्तियां होंगी जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 के अधीन कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों को मिली होती हैं। ऐसे लेखा परीक्षकों की परिलब्धियां, **लाइसेंसदाता** द्वारा जैसी भी निर्धारित की जाएंगी, वे **लाइसेंसधारक** द्वारा वहन की जाएंगी।

8.6 **लाइसेंसदाता** "विशेष लेखा परीक्षकों" द्वारा **लाइसेंसधारक** कंपनी के लेखाओं/रिकार्डों की "विशेष लेखा परीक्षा" भी करा सकता है जिसका भुगतान **लाइसेंसदाता** द्वारा निर्धारित की गई दरों पर किया जाएगा। इसे **लाइसेंसधारक** कंपनी वहन करेगी। यह उपर्युक पैरा **8.5** में निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा के स्वरूप का होगा। "विशेष लेखा परीक्षकों" को भी वही सुविधा और वही शक्तियां उपलब्ध होंगी जो कंपनी अधिनियम, 1956 में यथा परिकल्पित कंपनियों के लेखा परीक्षकों को उपलब्ध हैं।

8.7 **लाइसेंसधारक**, **लाइसेंसदाता** अथवा ट्राई द्वारा, जैसा भी मामला हो, समय-समय पर निर्धारित लेखांकन मानदंडों (अनुबंध-ग) और मार्गनिर्देशों जैसा भी मामला हो, के अनुसार कंपनी का वार्षिक वित्तीय लेखा तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेवार होगा।

9. सेवा की सुपूर्दगी

9.1 **लाइसेंसधारक** सेवा आरंभ करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर **लाइसेंसदाता** को सेवा आरंभ करने के संबंध में सूचित करेगा।

9.2 हटा दिया गया।

10. लाइसेंसदाता और ट्राई को सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता

10.1 **लाइसेंसधारक** **लाइसेंसदाता** को उसके द्वारा समय-समय पर मांगी गई सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। **लाइसेंसधारक** ट्राई को ट्राई अधिनियम, 1997 या किसी संशोधित, आशोधित कानून के प्रावधान के अंतर्गत समय-समय पर जारी किसी आदेश, निदेश और विनियम के अनुसार सूचना भी उपलब्ध कराएगा।

10.2 **लाइसेंसधारक** सेवा प्रदान करने के लिए अवसंरचना/बैकबोन साझेदारी हेतु अवसंरचना प्रदाता और अन्य लाइसेंसशुदा सेवा प्रदाताओं के साथ किए गए सभी अनुबंधों के निबंधनों और शर्तों तथा दायित्वों और उसमें हुए किसी परिवर्तन का पूर्ण ब्योरा **लाइसेंसदाता** को ऐसे अनुबंध किए जाने की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराएगा और इसी अवधि के दौरान ऐसे सभी अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियाँ भी उपलब्ध कराएगा।

10.3 **लाइसेंसधारक**, किसी भी ऐसे अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता (ऐसे अन्य सेवा प्रदाताओं सहित, जिनके लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अंतर्गत लाइसेंस अपेक्षित नहीं है) जिसका किसी निर्धारित समय पर लाइसेंस समाप्त अथवा स्थगित हो गया हो अथवा प्रचालन में नहीं है, को किसी भी स्थिति में संयोजकता अथवा इसी प्रकार की सेवा की इजाजत नहीं देगा। जहां संयोजकता पहले से है, **लाइसेंसधारक** को बिना समय गंवाए तत्काल कनेक्शन काटने अथवा संयोजकता समाप्त करनी होगी। **लाइसेंसदाता** से इस संबंध में कोई भी संदर्भ प्राप्त होने पर, ऐसे संदर्भ प्राप्त होने के एक घंटे के अंदर कनेक्शन काटना होगा। **लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता** को ऐसे दूरसंचार सेवा प्रदाता या तीसरे पक्षकार (थर्ड पार्टी) के किसी भी दावे से सुरक्षित रखेगा। कनेक्शन काटने के संबंध में **लाइसेंसदाता** का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

11. "लाइसेंस के अंतरण" पर प्रतिबंध

11.1 **लाइसेंसदाता** की नीचे वर्णित पूर्व लिखित सहमति के बिना **लाइसेंसधारक** प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी भी तरीके से, तीसरे पक्ष् को इस लाइसेंस को सुपुर्द अथवा अंतरित नहीं करेगा अथवा उप-लाइसेंस के लिए कोई करार नहीं करेगा और/अथवा किसी तीसरे पक्ष से लाइसेंस संबंधी किसी विषय के बारे में पूर्णतः अथवा आंशिक साझेदारी नहीं करेगा अर्थात कोई उप-पट्टा/साझेदारी/ तीसरे पक्ष का हित सृजित नहीं करेगा। परंतु **लाइसेंसधारक** सेवा की व्यवस्था हेतु हर समय एजेंट और कर्मचारी नियोजित अथवा तैनात कर सकता है।

11.2 **लाइसेंसधारक** निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर **लाइसेंसदाता** की पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ प्रदान किए जाने वाले लाइसेंस करार को सुपुर्द या अंतरित कर सकता है :

(i) जब **लाइसेंसदाता**, **लाइसेंसधारक** और ऋण दाताओं के बीच पहले से किए गए त्रिपक्षीय करार की प्रक्रिया पूरा होने की शर्तों के अनुसार अंतरण और सुपुर्दगी का अनुरोध किया गया हो; अथवा

(ii) जब कभी समामेलन अथवा पुनर्गठन अर्थात विलय अथवा विभाजन लागू कानून के अनुसार उच्च न्यायालय या अधिकरण द्वारा स्वीकृत और अनुमोदित हो; उपबंधों के अनुसार विशेष रूप से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 से 394 के अनुसार हो; और

(iii) अंतरण प्राप्तकर्ता समनुदेशिती करार शर्तों अथवा उस क्षेत्र में नए लाइसेंस की मंजूरी के लिए आवश्यक किसी अन्य दस्तावेज में शामिल पात्रता मानदंड के अनुसार पूर्ण रूप से पात्र हो तथा पिछले और भविष्य के रॉल आउट दायित्वों सहित लाइसेंस करार की शर्तों के अनुपालन के लिए लिखित रूप से इच्छा प्रकट करे; और

(iv) अंतरणकर्ता कंपनी द्वारा अंतरण/सुपुर्दगी की तारीख तक की सभी पूर्व देयताएं पूर्ण रूप से अदा कर दी गई हों और इसके पश्चात कार्य छोड़ने वाली कपंनी द्वारा पूर्व अवधि में भुगतान न किए गए किसी शेष सहित भविष्य की सभी देयताएं को अदा करने का वचन दिया जाए।

12. लाइसेंस की शर्तों में आशोधन

12.1 **लाइसेंसदाता** के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि लाइसेंस प्रदाता की राय में जनहित अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा सेवा के सुचारु संचालन हेतु आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो तो वह किसी भी समय लाइसेंस की शर्तों में बदलाव कर सकता है। इस संबंध में लाइसेंस प्रदाता का निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

13. लाइसेंस का निलंबन, रद्दीकरण अथवा समाप्ति

13.1 **लाइसेंसदाता** के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि जनहित में अथवा देश की सुरक्षा के हित में अथवा **सेवा** के सुचारु संचालन हेतु लाइसेंस प्रदाता की राय में, यदि आवश्यक अथवा अपरिहार्य हो तो वह किसी भी समय पूर्णतया अथवा अंशतः इस लाइसेंस के प्रचालन को निलंबित कर सकता है। **लाइसेंसदाता** को शर्त संख्या 5.2 के अंतर्गत देय लाइसेंस शुल्क उस अवधि के लिए दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसमें लाइसेंस का प्रचालन पूर्णतया निलंबित कर दिया गया हो।

परंतु पूर्वोक्त कार्रवाई के फलस्वरूप हुई किसी क्षति अथवा हानि के लिए लाइसेंस प्रदाता जिम्मेवार नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस की अवधि विस्तार के लिए लाइसेंस का निलंबन कोई कारण अथवा आधार नहीं होगा।

13.2 लाइसेंस की किसी भी शर्त की अवहेलना करने पर, किसी अन्य उपलब्ध उपचार के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, लाइसेंस प्रदाता **लाइसेंसधारक** को इसके पंजीकृत कार्यालय को जारी 30 दिन के लिखित नोटिस द्वारा, निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में इसके लाइसेंस को निरस्त कर सकता है :

यदि लाइसेंसधारक :

(क) लाइसेंस में निर्दिष्ट समय अवधि (अवधियों) के भीतर सेवा संस्थापित करने या प्रदान करने में विफल रहे।

(ख) शुल्क के समय पर भुगतान और लाइसेंस प्रदाता को देय अन्य शुल्कों सहित लाइसेंस के अंतर्गत किसी दायित्व(दायित्वों) के निष्पादन में असफल रहे;

(ग) लाइसेंस प्रदाता द्वारा **लाइसेंसधारक** को दी गई समय अवधि के दौरान सेवा/उपस्कर में किसी त्रुटि/कमी को सुधार न पाए।

(घ) परिसमापन हो जाए अथवा उसे अपना कार्य बंद करने के आदेश दिए जाएं।

(ङ) लाइसेंस की शर्तों का अनुपालन न करे जिसके कारण ट्राई द्वारा उसके लाइसेंस के निरस्तीकरण की सिफारिश की जाए।

(च) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) संबंधी मानदंडों का पालन करने में असफल रहे।

13(ii) लाइसेंस करार की शर्तों का उल्लघंन करने पर लाइसेंस प्रदाता अधिकतम 50 करोड़ रु0 की वित्तीय शास्ति भी लगा सकता है।

13.3 **लाइसेंसधारक**, लाइसेंस प्रदाता को कम से कम 60 दिनों का अग्रिम नोटिस देकर लाइसेंस को लौटा भी सकता है। उस स्थिति में **लाइसेंसधारक** अपने सभी उपभोक्ताओं को 30 दिन का नोटिस भेजकर परिणामस्वरूप सेवा वापसी की भी सूचना भेज सकता है। **लाइसेंसधारक** लाइसेंस छोड़ने की प्रभावी तारीख तक के सभी शुल्क अदा करेगा।

13.4 लाइसेंस के समाप्त होने अथवा छोड़ने संबंधी नोटिस की लंबित अवधि के दौरान, **लाइसेंसधारक** की यह जिम्मेवारी होगी कि वह सेवा की गुणवत्ता बनाए रखे और यदि नोटिस अवधि के दौरान सेवा की गुणवत्ता में कोई कमी आती है तो ऐसा करना लाइसेंस के निरस्तीकरण हेतु एक ठोस कारण माना जाएगा।

13.5 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि लाइसेंस को रद्द करने संबंधी नोटिस के जारी होने की तारीख से 60 दिन का नोटिस देकर, जनहित में लाइसेंस को किसी भी समय रद्द कर सकता है।

13.6 लाइसेंस प्रदाता के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह **लाइसेंसधारक** की संपूर्ण सेवा, उपस्करों और नेटवर्कों का अधिग्रहण कर सकता है अथवा जनहित अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा राष्ट्रीय आपातकाल/युद्ध की स्थिति में अथवा कम तीव्रता संघर्ष अथवा ऐसी समान परिस्थितियों में लाइसेंस को रद्द/समाप्त/निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त लाइसेंस प्रदाता के पास अधिकार सुरक्षित है कि यदि सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो तो किसी क्षेत्र को प्रचालन जोन से बाहर रख सकता है।

14. लाइसेंस को समाप्त करने के उपरांत अनुवर्ती कार्रवाई

14.1 यदि लाइसेंस करार के अंतर्गत ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लाइसेंस प्रदाता को लाइसेंस करार को समाप्त करना पड़े तो **लाइसेंसदाता**, जहाँ ऐसा करार निष्पादित और हस्ताक्षरित किया गया हो, त्रिपक्षीय करार में दी गई शर्तों के अनुसार कार्रवाई करेगा। यदि ऐसे किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किया गया हो तो निम्न शर्तों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

14.2 यदि लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है या उसकी अवधि में विस्तार नहीं किया जाता तो सेवा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए **लाइसेंसदाता** सेवा को चालू रखने की दृष्टि से वह लाइसेंस किसी अन्य भारतीय कंपनी को जारी कर सकता है। ऐसी स्थिति में **लाइसेंसदाता** किसी ऐसी नई कंपनी को लाइसेंस जारी कर सकता है जिसने सेवा छोड़ने वाली कंपनी के साथ पारस्पिरक सहमत शर्तों पर उसके नेटवर्क और परिसंपत्तियों का उपयोग करने के लिए करार किया हो। तथापि, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि **लाइसेंसदाता** पर भुगतान करने या अन्यथा किसी रूप में कार्य करने के लिए दबाव डाला जाएगा।

14.3 उपर्युक्त लाइसेंस को जारी करना पुराने लाइसेंस को उसकी व्यपगत नहीं हुई अवधि के लिए पुराने/पहले से निर्धारित निबंधन और शर्तों पर फिर से जारी करना समझा जाएगा।

14.4 लाइसेंस को समाप्त करने अथवा छोड़ने अथवा अवधि खत्म होने की स्थिति में, सभी देयताओं जिसका भुगतान **लाइसेंसधारक** द्वारा **लाइसेंसधारक** को किया जाना है, को चुकाने के संबंध में आश्वस्त होने पर ही **लाइसेंसधारक** को वित्तीय बैंक गारंटी वापस की जाएगी। **लाइसेंसधारक** के **लाइसेंसदाता** को देय राशियों का भुगतान न कर पाने की स्थिति में, **लाइसेंसधारक** को आगे कोई सूचना दिए बिना **लाइसेंसदाता** को देय राशि की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई(ओं) के प्रति पूर्वाग्रह के बिना बैंक प्रत्याभूतियों के भुनाने के माध्यम से बकाया राशि वसूली जाएगी।

15. लाइसेंसधारी पर लागू दायित्व :

15.1 यह लाइसेंस समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और ट्राई अधिनियम, 1997 अथवा इनके स्थान पर किसी अन्य संविधि द्वारा संचालित होगा।

15.2 **लाइसेंसधारक** जब कभी आवश्यक हो, भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 5(2) के प्रावधानों को लागू करने के लिए अपेक्षित सभी आवश्यक साधन उपलब्ध कराएगा। इस लाइसेंस करार में कहीं भी उपबंधित तथा विहित कुछ भी, भारतीय तार अधिनियम, 1885 अथवा प्रवृत्त किसी अन्य कानून के उपबंधों के अंतर्गत उपबंधित किसी भी चीज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगा।

16. नेटवर्क मानक :

16.1 **लाइसेंसधारक** समय-समय पर दूरसंचार विभाग द्वारा यथा निर्धारित राष्ट्रीय मूल योजना और तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा।

16.2 जिन नई प्रौद्योगिकियों के मामले में कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है उन्हें उपयोग में लाने से पूर्व **लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता** से अनुमोदन प्राप्त करेगा और ऐसे मामलों में दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी)/अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) द्वारा विनिर्दिष्ट मानक या ऐसी प्रौद्योगिकियाँ जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लाख उपभोक्ताओं द्वारा कम से कम एक वर्ष तक प्रयोग में लाया गया है, अनुमोदित प्रौद्योगिकी के रूप में अपनाए जाने के लिए चयनित की जाएंगी।

16.3 भारत के भीतर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के स्विच्ड नेटवर्कों के साथ अंतर्संयोजन दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र (टीईसी) द्वारा समय-समय पर जारी सीसीएस नंबर 7 के राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किया जाएगा। भारत के भीतर विभिन्न सेवा प्रदाताओं के पैकेट स्विच्ड नेटवर्क के साथ अंतर्संयोजन हेतु संगत राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन किया जाना है।

राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा लाइसेंसधारक और अभिगम सेवा लाइसेंसधारक के सर्किट स्विच्ड और वीओआईपी आधारित नेटवर्क के बीच अन्तःनेटवर्किंग के लिए राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा लाइसेंसधारक मीडिया गेटवे स्विच संस्थापित करेगा। अभिगम सेवा लाइसेंसधारक द्वारा मीडिया गेटवे स्विच की संस्थापना करने में कोई रोक नहीं होगी।

16.4 जब भी कभी लाइसेंसप्रदाता द्वारा मांग की जाएगी, लाइसेंसधारक आवश्यक निगरानी सुविधाएं प्रदान करेगा। लाइसेंसधारक द्वारा प्रदत्त पट्टाशुदा सर्किटों का विस्तृत ब्यौरा सुरक्षा एजेन्सियों और वरि. उपमहानिदेशक(सतर्कता) संचार भवन, नई दिल्ली को प्रतिमाह प्रदान करना होगा।

16.5 लाइसेंसधारक जो अन्तर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी, राष्ट्रीय लम्बी दूरी, बुनियादी अथवा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रचालक है) आईएलडी/एनएलडी/सेल्यूलर/बुनियादी सेवाओं के कार्यों के निष्पादन के लिए केवल एक स्विच रख रखते हैं, बशर्ते कि स्विच एक ही स्थान पर अवस्थित हो और विभिन्न सेवाओं के बीच विधिवत प्रभाजन द्वारा सभी प्रचालनों का अलग-अलग लेखा रखा जाता हो। पृथक टीएएक्स और गेटवे स्विच अनिवार्य नहीं हैं। एनएलडी सेवा प्रदाताओं को अपने एनएलडी नेटवर्कों का अभियंत्रण करने के लिए सर्किट स्विच्ड अथवा मैनेज्ड पैकेट स्विच्ड नेटवर्क स्थापित करने की अनुमति है।

17. नेटवर्क अंतर्संयोजन

17.1 बुनियादी सेवा प्रदाताओं, सेल्यूलर मोबाइल सेवा प्रदाताओं, एकीकृत अभिगम सेवा प्रदाताओं, केबल सेवा प्रदाताओं के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे एनएलडी सेवा प्रदाताओं को अन्तर्संयोजन प्रदान करें ताकि उपभोक्ता एनएलडी सेवा प्रदाता के माध्यम से इन्टर सर्किल/अन्तरराष्ट्रीय लम्बी दूरी कालों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हो सकें।

17.2 एनएलडी सेवा प्रदाता से अपेक्षा की जाएगी कि वह लास्ट माइल के लिए अभिगम प्रदाताओं के साथ पट्टाशुदा लाइनों हेतु अपनी उपयुक्त व्यवस्था/करार करें। इसके अतिरिक्त एनएलडी सेवा प्रदाता केवल पट्टाशुदा सर्किटों/क्लोजयूजर ग्रुप(सीयूजी) प्रदान करने के लिए उपभोक्ताओं से सीधे सम्पर्क कर सकते हैं। पट्टाशुदा सर्किट, प्वाइंट टू प्वाइंट नान-स्विच्ड फीजिकल कनेक्शनों/पारेषण बैण्डविड्थ के अतिरिक्त सर्किट अथवा पैकेट स्विच्ड (आईपीप्रोटोकोल) प्रौद्योगिकी अथवा सर्किट का प्रयोग करते हुए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क(वीपीएन) के रूप में परिभाषित है। सार्वजनिक नेटवर्क को पट्टाशुदा सर्किटों/सीयूजी के साथ नहीं जोड़ना होगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक अन्य दूरसंचार सेवा लाइसेंसधारक को भी बैण्डविड्थ प्रदान कर सकता है।

17.3 लाइसेंसधारक अन्तरसंयोजन करार करने के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है जिससे अंतर्संयोजित नेटवर्कों से निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी:-

(क) उनकी प्रयोज्य प्रणालियों से जोड़ना और जुड़े रहना,

(ख) अंतर्संयोजन के एक अथवा अधिक प्वाइंटों को संस्थापित करना और उन्हें बनाये रखना जो तर्कसंगत ढंग से अपेक्षित हों और जो पर्याप्त क्षमता के हों और प्रयोज्य प्रणालियों के माध्यम से संदेशों के पारेषण और प्राप्ति में सक्षम होने के लिए पर्याप्त संख्या में हों;

(ग) अंतर्संयोजित प्रणालियों के बीच संदेशों के पारेषण और प्राप्ति की सभी औचित्यपूर्ण मांग पूरी करना।

17.4 मानक इन्टरफेस, प्वाइंट ऑफ इन्टरकनेक्शन और तकनीकी पहलुओं सहित अंतर्संयोजन की निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति से होती हैं।

17.5 लाइसेंसधारक सेवा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ अपना ऐसी निजी उपस्कर स्थापित करेगा जो अन्य सेवा/अभिगम प्रदाताओं के उपस्कर के अनुकूल हों और जिससें लाइसेंसधारक की प्रयोज्य प्रणालियों को अन्तर्संयोजन प्रदान किया जा सके।

17.6 लाइसेंसधारक, ट्राई अधिनियम, 1997 के अधीन ट्राई द्वारा अंतर्संयोजन के संबंध में जारी किसी आदेश अथवा दिशानिर्देश अथवा विनियम का अनुपालन करेगा।

17.7 लाइसेंसधारक नेटवर्क से नेटवर्क इन्टरफेस के संबंध में सेवा प्रदाताओं के बीच आपसी सहमति से गुणवत्ता सेवा मानकों के अनुरूप लाइसेंसशुदा नेटवर्क को कायम रखेगा और उसका प्रचालन करेगा।

17.8 कालों के सर्जन, समाप्तिकरण और संहवन के लिए अभिगम अथवा अन्तर्संयोजन का प्रभार सेवा प्रदाताओं के बीच सम्पन्न हुए आपसी करार पर आधारित होगा जो ट्राई अधिनियम, 1997 के अधीन ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी प्रतिबंधों के अध्यधीन होगा।

17.9 सेवा की सेवा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतर्संयोजन करने वाले नेटवर्कों के उन्न्यन/आशोधन करने की कीमत सहित नेटवर्क संसाधन अंतर्संयोजन की मांग करने वाले सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे। तथापि सेवा प्रदाताओं के बीच अंतर्संयोजन नेटवर्कों के उन्नयन/आशोधन की कीमत के लिए आपसी सहमति से साझेदारी की व्यवस्था की अनुमति होगी।

17.10 एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक किसी भी ऐसे अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता(ऐसे अन्य सेवा प्रदाताओं सहित जिनके लिए भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अन्तर्गत लाइसेंस अपेक्षित नहीं हैं) जिसका किसी निर्धारित समय पर लाइसेंस या तो समाप्त कर दिया गया है अथवा निलंबित किया गया है अथवा प्रचालन में नहीं हैं, को किसी भी स्थिति में संयोजकता अथवा इसी प्रकार की सेवा की इजाजत नहीं देगा। जहाँ संयोजकता पहले से है, एनएलडी सेवा लाइसेंसधारक को बिना समय गंवाए तत्काल कनेक्शन काटने अथवा संयोजकता समाप्त करनी होगी। लाइसेंसदाता से इस संबंध में कोई संदर्भ प्राप्त होने पर, ऐसा संदर्भ प्राप्ति के एक घंटे के अंदर कनेक्शन काटना होगा। एनएलडी लाइसेंसधारक, ऐसे दूरसंचार सेवा प्रदाता अथवा तृतीय पक्षकार के किसी दावे का लाइसेंसदाता को क्षतिपूर्ति देगा। कनेक्शन काटने के प्रश्न पर लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम होगा।

18. टैरिफ

18.1 लाइसेंसधारक इस संबंध में समय-समय पर जारी ट्राई के टैरिफ आदेशों/विनियमों/दिशानिर्देशें के अनुसार सेवा के लिए टैरिफ प्रभारित करेगा। लाइसेंसधारक समय-समय पर यथासंशोधित ट्राई अधिनियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार समय-समय पर जारी आदेशें/विनियमों/दिशानिर्देशों के माध्यम से ट्राई द्वारा यथानिर्देशित टैरिफ, अधिसूचना के प्रकाशन और सूचना की व्यवस्था के बारे में अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा।

19. उपभोक्ता सेवा

19.1 लाइसेंसधारक किसी व्यक्ति विशेष अथवा विधिक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के, जैसा भी मामला हो, जब तक लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा अन्यथा निर्देशित न हो, सेवा प्रदान करेगा।

19.2 शर्त 19.1 के अध्यधीन लाइसेंसधारक अपने उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने की निरंतरता सुनिश्चित करेगा।

19.3 लाइसेंसधारक के उपभोक्ताओं के पूर्ति संविदागत दायित्वों में वे निबंधन और शर्तें भी शामिल होंगी जिनमें सेवा प्राप्त, प्रयुक्त और समाप्त की जा सकती है। लाइसेंसधारक लिखित मरम्मत, दोष सुधार, क्षतिपूर्ति अथवा पुनअर्दायगी से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को अधिसूचित करेगा।

19.4 सेवा प्रदान करने से संबंधित कोई भी विवाद का मामला केवल पीड़ित पक्ष और लाइसेंसधारक के बीच बनेगा, जो सेवा प्रदान करने के पहले इसे विधिवत अधिसूचित करेगा और किसी भी स्थिति में लाइसेंसदाता का पीड़ित पक्ष के प्रति मामले में कोई भी जिम्मेदारी अथवा उत्तरदायित्व नहीं होगा।

20. बिलिंग

20.1 लाइसेंसधारक अपने उपभोक्ता को अभिगम प्रदाताओं के माध्यम से स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मदवार बिलिंग प्रस्तुत करेगा। लाइसेंसधारक प्रत्येक मामले में अपने उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह होगा और इस संबंध में दायित्वों को पूरा करना सुनिश्चित करेगा। लाइसेंसधारक समय-समय पर लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा यथाविनिर्धारित बिलिंग चूक का आवश्यक रिकार्ड भी रखेगा।

20.2 लाइसेंसधारक अभिगम प्रदाय के माध्यम से अथवा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से कोई अतिरिक्त प्रभार की मांग किये बिना मदवार बिलिंग प्रदान करेगा। एनएलडी सेवा प्रदाता के साथ जैसा कि आपसी सहमति हुई है, बिलिंग हैण्डलिंग प्रभार अभिगम प्रदाय को देय होगा जो अभिगम प्रदाताओं की बिलिंग अनुसूची में सम्मिलित होगा।

20.3 इस संबंध में उपभोक्ताओं की सभी शिकायतों का समाधान/निपटारा लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों, आदेशों अथवा विनियमों अथवा निर्देशों के अनुसार होगा।

21. उपभोक्ता सूचना की गोपनीयता

21.1 लाइसेंसधारक की विशिष्ट अपेक्षाओं के लिए नेटवर्क पर लाने वाले किसी भी एन्क्रिप्शन उपस्कर को लगाने के लिए लाइसेंसदाता या इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी से पूर्व मूल्यांकन और अनुमोदन प्राप्त करेगा। तथापि, संदेश की निजता की रक्षा करना और संदेश का अनाधिकृत अंतरावरोधन न हो, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी लाइसेंसधारक की होगी।

21.2 इस निबंधन और शर्तों में निहित शर्तों के अध्यधीन लाइसेंसधारक तीसरे पक्षकार और उसके व्यवसाय, जिसे वह सेवा प्रदान करता है और जिससे वह अपनी सेवा के माध्यम से सूचना प्राप्त करता है, के बारे में निजता और गोपनीयता की सूचना के रक्षोपाय के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और उन्हें सुरक्षित रखने के भरपूर प्रयास करेगा:-

(क) लाइसेंसधारक अथवा लाइसेंसधारक की ओर से कार्यरत कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी सूचना का, जो तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान करने के संबंध में आवश्यक हो, के अलावा, खुलासा अथवा उपयोग नहीं करेगा।

(ख) कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी भी सूचना, जो तीसरे पक्ष को सेवा प्रदान करने के संबंध में आवश्यक हो, के अलावा, की मांग नहीं करेगा।

परंतु उपर्युक्त पैरा वहां लागू नहीं होगा जहां:

(क) यह सूचना किसी पक्ष विशेष से संबंधित हो और उस पक्ष ने उस सूचना का खुलासा करने या उपयोग करने के संबंध में लिखित सहमति दे दी हो और ऐसी सूचना का उस सहमति के अनुसार खुलासा या उपयोग किया गया हो, अथवा

(ख) यह सूचना पहले ही सार्वजनिक हो और सबको मालूम हो।

21.3 लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा कि लाइसेंसधारक, उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई भी व्यक्ति ग्राहक की सूचना संबंधी गोपनीयता का अनुपालन करे।

21.4 लाइसेंसधारक, सेवा आरंभ करने से पूर्व, लाइसेंस प्रदाता को लिखित में यह पुष्टि करेगा कि लाइसेंसधारक ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर लिए हैं कि वह तथा उसके कर्मचारी ग्राहक की सूचना की गोपनीयता का अनुपालन कर रहे हैं।

22. सेवा की गुणवत्ता

22.1 लाइसेंसधारक, लाइसेंसदाता अथवा ट्राई द्वारा यथानिर्धारित सेवा की गुणवत्ता (क्यूओएस) सुनिश्चित करेगा। लाइसेंसधारक ऐसे सेवा की गुणवत्ता मानकों का अनुपालन करेगा और उसमें यथापेक्षित सूचना समय पर प्रदान करेगा।

22.2 लाइसेंसदाता अथवा ट्राई निष्पादन परीक्षण कर सकते हैं और लाइसेंस के कार्यकाल के दौरान किसी भी समय लाइसेंसधारक के नेटवर्क में सेवा की गुणवत्ता मानकों का भी मूल्यांकन कर सकता है। लाइसेंसधारक इन परीक्षणों के लिए उपकरण, उपस्कर इत्यादि सहित प्रवेशाधिकार और अन्य सहायता उपलब्ध कराएगा।

22.3 लाइसेंसधारक जिस अवसंरचना प्रदाता के साथ पट्टा/किराये/खरीद आधार पर अथवा अवसंरचना सुविधा प्रदान करने के लिए ऐसे किसी उपकरण अथवा बैंडविड्थ की व्यवस्था और /अथवा स्विच क्षमता के लिए करार/संविदा कर सकता है, उससे लाइसेंसदाता द्वारा यथानिर्धारित सेवा की गुणवत्ता लागू करेगा और सुनिश्चित करेगा।

23. सुरक्षा संबंधी शर्तें

23.1 लाइसेंसधारी सरकार को निश्चित समय पर विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा ताकि जासूसी, विध्वंशात्मक क्रियाकलापों, तोड़फोड़ या किसी अन्य गैरकानूनी क्रियाकलाप को रोका जा सके।

23.2 लाइसेंसधारी, लाइसेंसप्रदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मांग पर तकनीकी छानबीन के लिए स्विचिंग केंद्रों, ट्रांसमिशिन केंद्रों, रूटों इत्यादि और निरीक्षण, दृश्य निरीक्षण अथवा प्रचालन निरीक्षण के लिए पूरे साधन उपलब्ध कराएगा।

23.3 सभी विदेशी कार्मिक, जिन्हें लाइसेंसधारी के नेटवर्क की संस्थापना, प्रचालन और रखरखाव के लिए, लाइसेंसधारी द्वारा तैनात किए जाने की संभावना है, को तैनाती से पहले सरकार से सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रदान की जाएगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, जो इस संबंध में मानक कसौटी अपनाएगा।

23.4 लाइसेंसधारी संचार की गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि संदेशों का अनाधिकृत अंतरावरोधन न हो।

23.5 लाइसेंसदाता के पास लाइसेंसधारक की सेवा, उपस्कर और नेटवर्कों को अपने कब्जे में लेने अथवा जनहित में अथवा आपात स्थिति में अथवा युद्व अथवा छुटपुट युद्व की घटनाओं अथवा किसी अन्य घटना की स्थिति में जारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अनुसार सेवा क्षेत्र का आंशिक अथवा सम्पूर्ण भाग का लाइसेंस निरस्त/समाप्त/निलंबित करने का अधिकार होगा। बशर्ते कि ऐसी शर्तों के अधीन सरकार द्वारा जारी कोई भी विशिष्ट आदेश अथवा निर्देश लाइसेंसधारक पर लागू होंगे और वह इनका कड़ाई से अनुपालन करेगा।

इसके अतिरिक्त लाइसेंसदाता के पास लाइसेंसधारक को सुरक्षा के निहितार्थ यदि आवश्यक हो तो सेवा के किसी भी क्षेत्र को प्रचालन से बाहर रखने का निर्देश देने का अधिकार होगा और लाइसेंसधारक ऐसे निर्देशों का किसी भी प्रकार का परिवर्तन किये बिना अनुपालन करेगा।

23.6 लाइसेंसदाता के पास इन शर्तों को आशोधित करने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और जनहित में आवश्यक समझी गयी नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार होगा।

23.7 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा की गई दूरसंचार संस्थापना सुरक्षा की दृष्टि से जोखिम पूर्ण न हो और किसी संविधि, नियम अथवा विनियम और लोक नीति के विरूद्ध न हो।

23.8 लाइसेंसधारक निम्नलिखित को सुनिश्चित करेगा/कार्यान्वित करेगाः-

23.8 (i) एक उपभोक्ता को एक स्थान पर अधिक संख्या में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराते समय बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु 10 या अधिक कनेक्शन को ज्यादा कनेक्शन समझा जाना चाहिए। ऐसे ज्यादा कनेक्शन उपलब्ध कराते समय व्यक्ति का सदाशयता संबंधी विशेष सत्यापन किया जाना चाहिए। ज्यादा कनेक्शन उपलब्ध कराने **संबंधी सूचना, दूरसंचार विभाग, वरि. उप महानिदेशक (सतर्कता)**, और सभी सुरक्षा एजेंसियों को मासिक आधार पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

23.8 (ii) उपभोक्ताओं द्वारा दिन और रात तथा विभिन्न टेलीफोन नम्बरों पर की गई ज्यादातर आउटगोइंग कॉल का ब्योरा रखा जाना चाहिए। आमतौर पर ऐसे मामलों में इनकमिंग कॉल का ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसा इस प्रयोजन हेतु एक विशेष कार्यक्रम चला कर किया जा सकता है। सेवाप्रदाता को समुचित धोखाधड़ी प्रबंधन और निंवारक कार्यक्रम चलाने चाहिए तथा टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतिदिन प्रयोग की जाने वाली मिनट की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए और प्रयोग की अधिकतम सीमा पार करने वाले सभी टेलीफोन कनेक्शन पर सदाशय प्रयोग हेतु निगरानी रखनी चाहिए। इस जांच का रिकार्ड बनाए रखना चाहिए, जिसे लाइसेंसप्रदाता द्वारा किसी भी समय जांचा जा सके। संदिग्ध उपभोक्ताओं की सूची/ब्योरा की सूचना **संबंधित, दूरसंचार विभाग के वरि. उप महानिदेशक (सतर्कता)**, संचार भवन, नई दिल्ली को तत्काल अवगत करा देना चाहिए।

23.8 (iii) गुप्त/गैर कानूनी दूरसंचार सुविधाओं का पता लगाने के लिए सेवा प्रदाताओं द्वारा दूरसंचार विभाग के सतर्कता यूनिट को सक्रिय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इस उद्देश्य से, प्रत्येक लाइसेंसीकृत सेवा क्षेत्र के संबंध में दूरसंचार की निगरानी के लिए गुप्तचर एजेंसियों को भेजे जाने वाले नोडल अधिकारियों और वैकल्पिक नोडल अधिकारियों के नाम **दूरसंचार विभाग के वरि. उप महानिदेशक (सतर्कता), दूरसंचार विभाग को भी भेजे जाने चाहिए। दूरसंचार विभाग का** सतर्कता यूनिट नोडल अधिकारी/वैकल्पिक नोडल अधिकारी से संपर्क करेगा और जब तक ऐसा नामांकन प्राप्त नहीं होता अथवा ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने के मामले में, दूरसंचार विभाग का सतर्कता यूनिट ऐसी सहायता/समन्वय के लिए लाइसेंसधारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संपर्क करेगा।

23.8 (iv) कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन (सीएलआई) के साथ कभी भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा कारणों से भी इसकी आवश्यकता होती है और इस संबंध में कोई भी उल्लंघन सुरक्षा की अवमानना होगी। आमतौर पर, उपभोक्ताओं को सीएलआई रिस्ट्रक्शन उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए। इस सुविधा को उपलब्ध कराने से पहले सीएलआईआर मांगने संबंधी कारणों की समुचित जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। यह सेवाप्रदाता की जिम्मेवारी होगी कि वह अपने स्टाफ के सदस्यों को इस सुविधा के दुरूपयोग को रोकने के संबंध मे उचित दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए कहे। सीएलआईआर प्राप्त उपभोक्ताओं के नाम की सूची, उनके पूरे पते और ब्योरे सहित एक पासवर्ड संरक्षित वेबसाइट पर होनी चाहिए ताकि प्राधिकृत सरकारी एजेंसियां दूरूपयोग की जांच और अन्वेषण के लिए उन्हें देख और डाउनलोड कर सके। तथापि, ज्यादा कनेक्शनों, कॉल सेंटर, टेलीमार्केटिंग सेवाओं के संबंध में सीएलआईआर उपलब्ध नहीं कराई जानी चाहिए।

23.8 (v) ऐसी सुविधाओं के सदाशयी प्रयोग के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने के लिए सेवाप्रदाताओं द्वारा नियमित अंतराल पर अधिक संख्या में परिसरों का प्रयोग करने वालों की जांच की जानी चाहिए। लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा प्राधिकरण के मानित अधिकारी द्वारा जांच/सत्यापन के लिए ऐसे निरीक्षण का रिकार्ड कम से कम एक वर्ष के लिए रखा जाना चाहिए।

23.8 (vi) पट्टाशुदा सर्किटों की उनकी सदाशयता के उपयोग और उनके किसी दुरूपयोग का पता लगाने के लिए जांच की जानी चाहिए।

24. लाइसेंसधारी के कतिपय कार्यों का निषेध :

24.1 लाइसेंसधारी यहां इस लाइसेंस के बल पर इस लाइसेंस करार में यथा परिभाषित सेवा को छोड़कर अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य नहीं करेगा।

24.2 किसी भी प्रकार का संदेह दूर करने के लिए एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा में निहित कोई भी बात लाइसेंसधारी को किसी भी प्रयोज्य प्रणाली से संबंधित विज्ञापन और प्रोत्साहनवर्धक कार्यकलापों में सलंग्न होने से नहीं रोकती।

24.3 लाइसेंसधारी, देश के स्थापित कानूनों का पालन करते हुए अपने नेटवर्क से किसी भी रूप में विवादित, अश्लील, अप्राधिकृत अथवा कोई अन्य विषय-वस्तु, संदेश और संचार जो कॉपीराइट बौदिक संपदा इत्यादि का उल्लंघन करता हो, को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उल्लंघन संबंधी किसी विशिष्ट अवसर की एक बार लाइसेंसधारी को रिपोर्ट करने के बाद, लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके नेटवर्क से ऐसी सामग्री का परिचालन तत्काल रोका जाए।

24.4 लाइसेंसधारी बिना किसी विलंब के अपने उपस्कर और नेटवर्क के माध्यम से भेजे जाने वाले अशांति फैलाने वाले, कष्टप्रद या विद्वेषपूर्ण कॉलों, संदेशों या संचार का पता लगाने वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। इस संबंध में लाइसेंसधारी की विफलता के कारण उत्पन्न किसी भी क्षति का भुगतान लाइसेंसधारी करेगा।

24.5 यदि कोई गोपनीय सूचना करार के समुचित कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारी को दी जाती है तो लाइसेंसधारी और इसके कर्मचारियों, तथा सेवकों के लिए इसकी गोपनीयता कायम रखना बाध्यकारी होगा।

25. अंतर्संयोजन परीक्षण

25.1 अंतर्संयोजन परीक्षण लाइसेंसधारक और सम्मिलित अन्य पार्टी के बीच आपसी व्यवस्था के द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं के साथ प्रत्येक इन्टरफेस के लिए किया जा सकता है। अन्तर्संयोजन परीक्षण कार्यक्रम आपसी सहमति पर होगा। इन परीक्षणों के लिए लाइसेंसधारक द्वारा पर्याप्त समय जो 30 दिनों से कम नहीं होगा, दिया जाएगा।

25.2 हटा दिया गया है।

26. निरीक्षण का अधिकार :

26.1 लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को सेवा विस्तार के लिए प्रयुक्त साइटों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। लाइसेंसप्रदाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को (विशेष रूप से परंतु जो इस तक सीमित नहीं है) लीज्ड लाइनों, जंक्शनों, समापन इंटरफेसों, हार्डवेयर/साफ्टवेयर, सेमीकंडक्टरों की मेमोरी, चुंबकीय और आप्टिकल किस्मों, तारशुदा या वायरलेस विकल्पों, वितरण फ्रेमों तक अभिगम का अधिकार होगा और वे निष्पादन परीक्षण संचालित करेंगें जिसमें निवेश/निर्गत प्रणालियों या टर्मिनलों के माध्यम से प्रणाली के साथ संवाद करना शामिल है। लाइसेंसधारी प्रणाली की सतत निगरानी के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, जैसाकि लाइसेंसप्रदाता या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मांग की जाए। लाइसेंसप्रदाता सामान्यतः उपयुक्त नोटिस देने के बाद निरीक्षण करेगा, नोटिस सिर्फ उन परिस्थितियों में देने की जरूरत नहीं है जिनमें निरीक्षण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाए।

26.2 यह पता लगाने के लिए कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की शर्तों के अनुपालन में कोई उल्लंघन किया है, लाइसेंसप्रदाता जहां कहीं उपयुक्त समझे स्वेच्छा से अथवा शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर सकता है और लाइसेंसधारक ऐसी जांच में, बिना किसी रूकावट के सभी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

27. स्विचों, पारेषण केन्द्रों की अवस्थिति

27.1 लाइसेंसधारक रूटिंग ब्यौरा इत्यादि सहित स्विचन केन्द्रों, पारेषण केन्द्रों की अवस्थिति का ब्यौरा लाइसेंसदाता को प्रदान करेगा और इन केन्द्रों की अवस्थिति लाइसेंसदाता को पूर्व सूचना दिये बिना नहीं बदली जाएगी।

28. सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता

28.1 लाइसेंसधारक ऐसे तरीके और समय के अनुसार, जैसे प्राधिकरण मांग करे, समय-समय पर यथाविनिर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार दस्तावेज, लेखा, प्राक्कलन, विवरणी, रिपोर्ट अथवा अन्य सूचना लाइसेंसदाता के साथ-साथ ट्राई को भी प्रस्तुत करेगा।

28.2 **इंजीनियरिंग ब्यौराः**

(क) लाइसेंसधारक लाइसेंसदाता को ऐसे तरीके से और ऐसे समय, जैसाकि लाइसेंसदाता मांग करे, लागू व्यवस्था के संबंध में इन्जीनियरी के सभी परिकलनों के साथ पूर्ण तकनीकी ब्यौरा योजना और सिस्टम/नेटवर्क का विस्तार, संबंधित संगत साहित्य, ड्राइंग्स, संस्थापना सामग्री उपलब्ध कराएगा।

(ख) सेवा के शुरू होने की तारीख से एक माह पूर्व लाइसेंसधारक द्वारा किये गये निष्पादन परीक्षण की सूची प्रस्तुत की जाएगी, रिपोर्ट में निष्पादन मानक न पूरा करने वाले पैरामीटरों, यदि कोई हो, और उसके प्रभाव का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

29. विवाद समाधान

29.1 समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 के उपबंध के अनुसार लाइसेंसधारक और अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं अथवा लाइसेंसदाता के बीच किसी विवाद का समाधान दूरसंचार विवाद समाधान और अपील अधिकरण में होगा।

30. विविधं शर्तेः

(क) शर्तों/परिभाषाओं की व्याख्या

30.1 जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, इस लाइसेंस करार में प्रयुक्त विभिन्न शर्तों और अभिव्यक्तियों का अभिप्राय इस लाइसेंस करार के अनुबंध-I में यथा वर्णित उनके किये गये आवंटन के अनुसार होगा।

(ख) बाध्यकारी उपाय

30.2 यदि किसी समय इस लाइसेंस के जारी रहने के दौरान किसी पक्षकार द्वारा इसके अंतर्गत किसी दायित्व का समग्र रूप से या आंशिक रूप से निष्पादन को युद्ध या शत्रुता द्वारा, सार्वजनिक शत्रुता, नागरिक क्षोभ, विध्वंस, राज्य की कार्रवाई या सांविधिक प्राधिकारी से निदेश, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो लाइसेंसधारक के प्रतिष्ठानों तथा सुविधाओं तक सीमित नहीं हो), दैवी कार्य (जिसे यहां घटना कहा जाएगा) द्वारा रोका जाता है या विलम्बित होता है, बशर्ते कि किसी ऐसी घटना के होने के बारे में इसके घटित होने की तारीख से 21 कैलेण्डर दिवसों के भीतर इसकी सूचना प्रभावित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे दी जाती है, कोई भी पक्ष इस घटना के कारण लाइसेंस समाप्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा न ही किसी पक्ष का ऐसा निष्पादन न करने या निष्पादन में विलम्ब के मामले में दूसरे पक्ष के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के दावे का अधिकार होगा। परंतु ऐसी घटना के समाप्त होने के पश्चात, लाइसेंस के तहत सेवा व्यवहार्य होने पर शीघ्रातिशीघ्र शुरू की जाएगी। इस तरह सेवा शुरू करने (और समय-सीमा जिसके भीतर सेवा शुरू की जा सकती है) या न करने के संबंध में लाइसेंसदाता का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा। तथापि, बाध्यकारी उपाय संबंधी उपर्युक्त घटनाओं के कारण किसी भी तरह लाइसेंस की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी। जबकि यह लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने का कोई आधार भी नहीं

होगा, घटना की परिस्थितियों पर आधारित विवेक पर, बाध्यकारी खंड के कारण ऐसी अप्रचालक अवधि(यों) के लिए लाइसेंस शुल्क के भुगतान की देयता को तथापि लाइसेंसदाता द्वारा कम किया/छोड़ा जा सकता है।

सेट ऑफ क्लाज :

30.3 यदि कोई धनराशि अथवा दावा लाइसेंसधारक से लाइसेंसदाता को इस लाइसेंस करार के लिए अथवा अन्यथा किसी रूप में देय हो जाता है तो ऐसी धनराशि अथवा दावे को (विधि द्वारा दिए गए अथवा लगाए गए किसी प्रतिदावे के लिए सेट ऑफ संबंधी किसी अधिकार को प्रतिबंधित किए बिना) तब देय अथवा इस लाइसेंस करार या अन्य करार अथवा लाइसेंसदाता तथा लाइसेंसधारक के बीच किसी अन्य करार अथवा ठेके के अंतर्गत तत्पश्चात किसी समय लाइसेंसधारक को देय होने वाली किसी राशि अथवा धनराशि में से घटा लिया जाएगा अथवा समयोजित कर दिया जाएगा।

30.4 लाइसेंसधारक कंपनी को भुगतान की जाने वाली पूर्वोक्त धनराशि में कोई मूल्यवान प्रतिभूति जिसे धनराशि में परिवर्तित किया जा सके, शामिल होगी।

30.5 सेट ऑफ संबंधी अधिकार का प्रयोग किया गया है अथवा किया जा रहा है, लाइसेंसदाता ऐसी कार्रवाई जब कभी करना चाहेगा तो उसकी सूचना लाइसेंसधारक कंपनी को लिखित रूप में तुरंत स्पष्ट रूप से देगा।

31. वे लीव :

31.3 लाइसेंसधारक कंपनी राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के लिए स्वयं अपना प्रबंध करेगी। तथापि, केंद्र सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-III के अंतर्गत टेलीग्राफ लाइनें स्थापित करने के उद्देश्यार्थ, लाइसेंसधारी को अपेक्षित शक्तियां प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिसूचना जारी कर सकती है। बशर्ते कि आरओडब्ल्यू की अनुपलब्धता या किसी ऐजेंसी से अनुमति/स्वीकृति प्राप्त करने में हुए विलंब को रॉल-आउट दायित्वों को पूरा न होने के कारण के रूप में नहीं माना जाएगा तथा साथ ही इस लाइसेंस की शर्तों के द्वारा लगाए किसी दायित्व को पूरा न कर पाने के लिए एक वैध कारण के रूप मे नहीं लिया जाएगा।

32. फ्रीक्वेंसी अनुज्ञप्ति :

32.1 डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की ओर से एक अलग से विशिष्ट अनुज्ञप्ति और लाइसेंस (जिसे इसके पश्चात डब्ल्यूपीसी स्कंध कहा जाएगा) अपेक्षित होगा जो उक्त अनुज्ञप्ति और डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की भुगतान सहित विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत एकीकृत अभिगम सेवा के लाइसेंस करार के अधीन दूरसंचार सेवा के बेतार अवयवों की स्थापना और कब्जा और प्रचालन के लिए उपयुक्त फ्रीक्वेंसी/बैंड के उपयोग की मंजूरी देगा। अनुज्ञप्ति ओर डब्ल्यूपीसी लाइसेंस की ऐसी मंजूरी सामान्य नियमावली, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी और इसमें शामिल आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने पर आधारित होगी।

32.2 इस प्रयोजन हेतु, डब्ल्यूपीसी स्कंध से उपलब्ध एक विहित आवेदन प्रपत्र में "बेतार सलाहकार, भारत सरकार, डब्ल्यूपीसी स्कंध, दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, संचार भवन, नई दिल्ली-110001 " को अलग से एक आवेदन भेजा जाएगा।

32.3 फिक्स्ड स्टेशनों और इनके एंटीना मास्ट के संबंध में डब्ल्यूपीसी स्कंध से स्थल का अनुमति प्रमाण पत्र लेना होगा जिसके लिए आवेदनकर्ता एक विहित आवेदन प्रपत्र में अलग से सचिव, फ्रीक्वेंसी आवंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति (एसएसीएफए) को निम्नलिखित पते पर आवेदन भेजेंगे :

सचिव (एसएसीएफए), डब्ल्यूपीसी स्कंध,
संचार मंत्रालय,
दूरसंचार विभाग,
संचार भवन,
नई दिल्ली-110001.

व्याख्या : फ्रीक्वेंसी आबंटन और अन्य संबधित मुद्दों/विषयों में समन्वय के संबंध में विषयों पर बातचीत करने के लिए संचार मंत्रालय में एसएसीएफए एक शीर्ष निकाय है। साइट अनुमति प्रमाण पत्र से अभिप्राय मुख्य बेतार प्रयोक्ताओं के करार से है जो कि अन्य रेडियो सिस्टम वायु जोखिमों के साथ तुलना की दृष्टि से प्रस्तावित फीक्स्ड एंटीना की अवस्थिति के संबंध में है। इसके लिए अंतर-विभागीय समन्वय की जरूरत है और यह एक अंतर्ग्रस्त प्रक्रिया है। आमतौर पर साइट अनुमति प्रमाण पत्र प्रक्रिया में एंटीना/मास्ट की संस्थापना और ऊंचाई की प्रकृति के आधार पर दो से छह महीने लगते हैं।

32.4 विभिन्न प्वाइंट टू प्वाइंट रेडियो लिंक की स्थापना के लिए विभिन्न एजेंसियों को चिन्हित फ्रीक्वेंसी बैंड, समय-समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना (इसके पश्चात एनएफएपी-2002 कहलाएगी) में दिए गए हैं। केवल बैंड का संकेत ही फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की उपलब्धता की गारंटी नहीं है, इसे मामला दर मामला आधार पर समन्वित किया जाएगा।

32.5 लाइसेंसधारी रेडियों स्पेक्ट्रम के अन्य प्राधिकृत प्रयोक्ताओं के लिए कष्टकारक अंतरावरोधन का कारण नहीं बनेगा अथवा कारण की इजाजत नहीं देगा। अन्य प्रयोक्ताओं के लिए कष्टकारक अंतरावरोधन को समाप्त करने के लिए लाइसेंसधारी सरकार द्वारा जारी सभी अनुदेशों और आदेशों का पालन करेगा।

33. उपग्रह के प्रयोग के मामले में भू-केन्द्र इत्यादि की स्थापना के संबंध में एसएसीएफए की अनुमति और अन्य प्राधिकारियों से अनुमति लेने के अतिरिक्त नेटवर्क प्रचालनों और नियंत्रण केन्द्रों(एनओसीसी) से आवश्यक समन्वय और अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवाओं के लाइसेंस करार के निबंधन और शर्तों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों से संबंधित परिभाषाएं और व्याख्याएं

जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, लाइसेंस करार में प्रयुक्त विभिन्न शर्तों और अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नलिखित पैराग्राफों में उनके समक्ष आवंटित किये अनुसार होगाः-

1. **" अभिगम प्रदाता "** का तात्पर्य वेसिक सेवा प्रदाताः सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदाता, केबल सेवा प्रदाता से है।

2. **"प्रयोज्य प्रणालियों"** का अभिप्राय प्रचालनात्मक, तकनीकी और गुणवत्ता, आवश्यकताओं और लाइसेंस करार के अन्य निबंधन और शर्तों के अनुसार राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा प्रदान करने के लिए अभियंत्रित सभी आवश्यक उपस्करों/उपप्रणालियों से है।

3. **" लेखा परीक्षक "** का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की अपेक्षाओं के अनुसार कुछ समय के लिए नियुक्त लाइसेंसधारक के लेखा परीक्षक से है।

4. **" ग्राहक "** शब्द में कोई उपभोक्ता अथवा कोई व्यक्ति अथवा विधिक निकाय शामिल है जो लाइसेंसधारक से लम्बी दूरी की सेवा का उपभोक्ता होता है/सुविधा का लाभ उठाता है।

5. **" पदनामित प्राधिकारी "** ऐसा निकाय होता है जो सेवा का प्रचालन करने के लिए लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किया जाता है अथवा शक्ति प्रदत्त होता है।

6. **" डीओटी "** का अभिप्राय दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से है।

7. **" बीएसएनएल "** का आशय भारत संचार निगम लि. से है।

8. **" लाइसेंस की प्रभावी तिथि "** वह तिथि होती है जिस तारीख को लाइसेंस पर हस्ताक्षर किये जाते हैं।

9. **" मूल योजनाः "** मूल योजना में समय-समय पर यथासंशोधित दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नम्बरिंग योजना, परियात रूटिंग, स्विचिंग योजना और पारेषण योजना शामिल हैं।

10. **" अवसंरचना प्रदाता "** का अभिप्राय उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है जो डार्क फाइवर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर इत्यादि सहित दूरसंचार नेटवर्क को निष्क्रिय अवयव के साथ-साथ लम्बे समय तक एंड-टू-एंड बैंडविड्थ उपलब्ध कराते हैं।

11. **'अंतर्संयोजन'** जैसाकि ट्राई द्वारा इस संबंध में जारी किए गए इसके विनियमों के तहत परिभाषित है।

12. **" अंतरराष्ट्रीय सेवाऐं "** का तात्पर्य देश से की जाने वाली और देश से बाहर समाप्त होने वाली दूरसंचार सेवाओं से है।

13. **" अंतर-सर्किल परियातः "** अंतर-सर्किल परियात का अभिप्राय एक दूरसंचार सर्किल से किये जाने वाले तथा अन्य दूरसंचार सर्किल में समाप्त होने वाले लंबी दूरी के परियात से है।

14. **" अंतरा-सर्किल परियातः "** अंतरा-सर्किल परियात का अभिप्राय एक ही दूरसंचार सर्किल की सीमाओं के अंदर होने वाले लंबी दूरी परियात से है।

15. **'लाइसेंस'** का अभिप्राय भारतीय बेतार अधिनियम, 1933 अथवा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन मंजूर अथवा प्रभावी माने गये लाइसेंस से है।

16. **'लाइसेंसधारी'** एक पंजीकृत भारतीय कंपनी है जिसे राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा नेटवर्क स्थापित और प्रचालित करने और राष्ट्रीय लम्बी दूरी सेवा उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

17. **'लाइसेंसप्रदाता'** का अभिप्राय जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, भारतीय बेतार तार अधिनियम, 1933 अथवा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन भारत के राष्ट्रपति से है जो लाइसेंस की मंजूरी प्रदान करते हैं।

18. **"लाइसेंसप्रदाता लेखा परीक्षक"** का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अंतर्गत इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अभिव्यक्ति से है जिसे वही शक्तियां प्राप्त होती है जो कम्पनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों को प्राप्त होती है।

19. **" स्थानीय क्षेत्र "** भौगोलिक क्षेत्र होता है जिसे एक एक्सचेंज अथवा एक्सचेंज सिस्टम से सेवा प्रदान की जाती है। एक ही स्थानीय क्षेत्र से की जाने वाली तथा एक ही में समाप्त होने वाली कालें स्थानीय काल दर पर प्रभारित की जाती है। इस परिभाषा के प्रयोजनार्थ रिमोट सब्स्क्राइबर्स यूनिट और कन्सेन्ट्रेटरों को एक्सचेंज के रूप में माना जाता है।

20. **" लम्बी दूरी का नेटवर्क "** पारेषण और स्विचन घटकों का ऐसा नेटवर्क है जो विभिन्न एसडीसीए के बीच स्विच्ड युक्त इंटरकनेक्शन प्रदान करने के लिए पूर्वनिर्धारित ढंग से जुड़ा रहता है। वास्तविक रूप में नेटवर्क के घटकों को सह-अवस्थित किया जा सकता है अथवा उनको अपेक्षाकृत बड़े घटकों का भाग बनाया जा सकता है।

21. **" लम्बी दूरी की कॉल "** को किसी स्थानीय क्षेत्र में टर्मिनेट होने वाली ऐसी कॉल के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी अन्य क्षेत्र से उत्पन्न हुई थी।

22. **" लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र "** (एलडीसीए) से आशय एक ऐसे क्षेत्र से है जो देश को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित और ट्रंक कालों को प्रभारण के प्रयोजनार्थ इस प्रकार घोषित किए गए क्षेत्रों में से एक है जो सामान्यतया गौण स्विचन क्षेत्र के साथ को-टर्मिनस होता है।

23. **" लम्बी दूरी प्रभारण केंद्र" (एलडीसीसी)** : किसी लंबी दूरी प्रभारण क्षेत्र में कोई विशेष ट्रंक एक्सेस जिसे लंबी दूरी की कॉलों के प्रभारण के प्रयोजनार्थ इस प्रकार घोषित किया गया है। एसएसए का मुख्यालय आम तौर पर एलडीसीसी होता है।

24. **" संदेश "** से आशय ऐसी किसी बात से है जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 की उपधारा (3) के तहत आती है।

25. **" एमटीएनएल "** का आशय महानगर टेलीफोन निगम लि. से है।

26. **" राष्ट्रीय लम्बी दूरी (एनएलडी) सेवाः "** का आशय लम्बी दूरी के नेटवर्क पर स्विच्ड बीयरर दूरसंचार सेवा के परिवहन अर्थात विभिन्न् अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्रों (एसडीसीए) को जोड़ने वाले नेटवर्क से है।

27. **" राष्ट्रीय लम्बी दूरी का सेवा प्रदाताः "** (एनएलडीओ भी कहा जाता है) वह दूरसंचार प्रदाता है जो राष्ट्रीय लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा इस लाइसेंस के क्षेत्र के भीतर वहन करने के लिए अपेक्षित डिजिटल क्षमता प्रदान कर रहा हो, जिसके अंतर्गत आईटीयू द्वारा परिभाषित विभिन्न प्रकार की टेलीसर्विस जैसे वॉयस, डाटा, फैक्स, टैक्स, वीडियो और मल्टी-मीडिया आदि शामिल हों।

28. **" नेटवर्थ "** से आशय लागू करने की तारीख को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट प्रचलित परिवर्तन दर पर प्रदत्त इक्विटी पूंजी तथा मुक्त आरक्षित राशि के भारतीय रूपए के परिवर्तित राशि के कुल भाग से है।

29. **" प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स(पीओजी) "** प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स(पीओपी) का अभिप्राय राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा प्रचालक (एनएलडीओ) द्वारा की गयी तकनीकी व्यवस्था से है। जिसके अन्तर्गत यह ऐसे प्वाइंट ऑफ प्रजेन्स से जिस क्षेत्र को सेवा प्रदान करना अपेक्षित होता है, उससे बहिर्जावक कालों को स्वीकार कर सकता है और उसे टर्मिनेटिंग कालें भेज सकता है। आशा है कि अन्तर्संयोजन लिंक की स्विच क्षमता और बैण्ड विड्थ की पीओपी में संवाहित होने वाले इसके परियात प्रक्षेपणों के आधार पर एनएलडीओ द्वारा पैमाइश की जा सकती है।

30. **" सेवा की गुणवत्ता "** का मूल्यांकन सेवा के ग्रेड, गलत प्रोसेसिंग की वजह से काल समाप्त होने, बिट संबंधी चूक दर अथवा रेस्पांस समय के संबंध में प्रेक्षणीय उपायों के आधार पर किया जाता है। इसमें सेवा प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं की चूक की संख्या प्रति यूनिट आबादी के स्वीकार्य ग्रेड, मीन टाइम टू रिस्टोर (एमटीटीआर), एमटीटीआर के बाद की गई चूक और उनका संतोषजनक निपटारा भी शामिल है।

31. " राजस्व " : राजस्व की प्रतिशतता के रूप में लाइसेंस शुल्क वसूलने के प्रयोजनार्थ राजस्व का अर्थ लाइसेंस के अधीन राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा प्रदान करने की मार्फत लाइसेंसधारक को होने वाली सकल कुल राजस्व आय से है जिसमें उन अन्य सेवा प्रदाताओं को जिनका नेटवर्क कालों के संवहन के लिए लाइसेंसधारक के नेटवर्क से अंतर्संयोजित होता है, अनुपूरक/मूल्यवर्धित

सेवाओं, अवसंरचना का पट्टा, ब्याज, लाभांश इत्यादि की थोड़ी सी धनराशि घटाने पर प्राप्त राजस्व शामिल है। सकल राजस्व में पिछले बट्टे खाते की राशि (अर्थात् वसूला गया डूबा ऋण, पूर्ववर्ती वर्षों का अधिशेष प्रावधान) भी शामिल है। यह स्पष्ट किया जाता है कि अवसंरचना को किराये पर देने से किसी भी पट्टा अथवा किराये प्रभार को इस प्रकार इसमें से नहीं घटाया जाएगा। लाइसेंसधारक के उपभोक्ताओं से वसूले गये सेवा करों और बिक्री करों, जो सरकार को दे दिये जाते हैं, को राजस्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा।

32. **" सेवा " :** सेवा का अभिप्राय इस लाइसेंस की अनुसूची-। के खण्ड 2 में यथा परिभाषित राष्ट्रीय लम्बी दूरी की सेवा से है।

33. **" अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एसडीसीए) :** विभिन्न् सेवा क्षेत्रों का वह क्षेत्र जिसमें लम्बी दूरी प्रभारण क्षेत्र विभाजित होता है और जो ट्रंक कालों के प्रभारण के प्रयोजनार्थ घोषित होता है, कुछ अपवादों को छोड़कर अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र, राजस्व तहसील/ताल्लुक होता है।

34. **" अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र(एसडीसीसी) :** अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र में एक्सचेंज विशेष जो ट्रंक कालों के प्रभारण के लिए घोषित होता है। अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र का मुख्यालय सामान्य तौर पर अल्प दूरी प्रभारण केन्द्र(एसडीसीसी) होता है।

35. **" विशेष लेखापरीक्षक " :** इसका अभिप्राय लेखा परीक्षकों के पैनल में सूचीबद्व लेखा परीक्षकों से है, जिनके पास कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथा परिकल्पित कम्पनियों के लेखा परीक्षकों को प्राप्त शक्तियों के अनुसार समान शक्तियां होती है।

36. **" प्रशुल्क " :** प्रशुल्क का आशय दरों और संबंधित शर्तों से है जिन पर भारत में और भारत से बाहर दूरसंचार सेवाएं प्रदान की जाती हैं इनमें दरें और संबंधित शर्तें भी शामिल हैं जिन पर संदेशों का परियात होगा, जमा राशि, संस्थापना शुल्क, किराया, निःशुल्क कालें, प्रयोग प्रभार और अन्य संबंधित शुल्क अथवा सेवा प्रभार लिया जाता है और प्रशुल्क शब्द का वही अर्थ होगा जो ट्राई द्वारा जारी दूरसंचार प्रशुल्क आदेश में निहित है।

37. **" ट्राई " :** का आशय भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से है।

38. **" टीईसी " :** का आशय दूरसंचार इंजीनियरी केन्द्र से है।

39. **" बीएसएनएल " :** का आशय विदेश संचार निगम लि. से है।

40. **" डब्ल्यू पी सी " :** का आशय संचार मंत्रालय के बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध से है।

41. **" यूएसओ " :** का आशय ट्राई की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर संशोधित और एनटीपी 99 में यथा घोषित सार्वभौमिक सेवा दायित्व से है।

42. **" यूएसएफ "** : का आशय सार्वभौमिक सेवा दायित्व पर आये व्यय को पूरा करने के लिए गठित " सार्वभौमिक सेवा निधि " से है।

43. **" वर्ष "** : राजस्व हिस्सेदारी में लाइसेंस शुल्क के प्रयोजनार्थ 31 मार्च को समाप्त होने वाला वित्तीय वर्ष होगा और चारों तिमाहियां क्रमशः 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर और 31 मार्च को समाप्त होंगी।

अनुबंध-II

दूरसंचार सेवा क्षेत्र तथा उनके द्वारा कवर किए गए क्षेत्र

क्र0सं0	सर्किल का नाम	कवर किए गए क्षेत्र
01	अंडमान और नीकोबार द्वीपसमूह	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र
02	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
03	असम	असम राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
04	बिहार	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 2000 का 30) के अनुसरण में नवनिर्मित झारखंड राज्य तथा पुनर्गठित बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
05	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सम्पूर्ण क्षेत्र
06	गुजरात	गुजरात राज्य तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र, सिल्वासा (दादर एवं नागर हवेली) के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
07	हरियाणा	हरियाणा राज्य के अंतर्गत पड़ने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
08	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
09	जम्मू एवं कश्मीर	लद्दाख के स्वायत्त परिषद सहित जम्मू एवं कश्मीर राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
10	कर्नाटक	कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
11	केरल	केरल राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र - लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
12	मध्य प्रदेश	दिनांक 25 अगस्त, 2000 के मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (सं0 : 2000 का 28) के अनुसरण में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ राज्य तथा पुनगर्ठित मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
13	महाराष्ट्र	मुम्बई महानगर सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर, गोवा संघ राज्य क्षेत्र तथा महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
14	पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
15	उड़ीसा	उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
16	पंजाब	पंजाब राज्य एवं चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
17	राजस्थान	राजस्थान राज्य के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र ।
18	तमिलनाडु	तमिलनाडु राज्य एवं पांडिचेरी और कराइकल संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र।
19	उत्तर प्रदेश-पश्चिम	पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : पीलीभीत, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी एवं एटावाह। इसमें गाजियाबाद एवं नोएडा के स्थानीय टेलीफोन क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। हालांकि, इसमें दिनांक 25 अगस्त, 2000 के उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000(सं0 2000 का 29) के अनुसरण में नवनिर्मित उत्तरांचल राज्य शामिल होगा।

20	उत्तर प्रदेश-पूर्व	पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला संपूर्ण क्षेत्र तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटे समीपवर्ती निम्नलिखित जिले : शाहजहांपुर, फरूखाबाद, कानपुर एवं जालौन।
21	पश्चिम बंगाल ***	पश्चिम बंगाल राज्य और सिक्किम राज्य के भीतर आने वाला सम्पूर्ण क्षेत्र।
22	मुम्बई *	मुम्बई, नवीं मुम्बई एवं कल्याण टेलीफोन एक्सचेंजों के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र।
23	कोलकाता *	कोलकाता टेलीफोन्स के अंतर्गत आने वाले स्थानीय क्षेत्र।

- * सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा तथा एकीकृत अभिगम सेवा के लिए विभिन्न सेवा क्षेत्र।
- ** सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस को पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कवर किया गया है।
- *** कोलकाता सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए पश्चिम बंगाल सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है।
- **** सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा और एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस के लिए सम्मिलित दिल्ली सेवा क्षेत्र के भाग के रूप में गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा और गुड़गाँव टेलीफोन एक्सचेंजों तक कवर किये गये क्षेत्र।
- पूर्वी गोदावरी एलडीसीए में आंध्र प्रदेश सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत येनुम, जो पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का एक क्षेत्र है, सेवा प्राप्त करता है।

अनुबंध-III

लम्बी दूरी के प्रभारण क्षेत्रों की सूची

क्र0सं0	परिमण्डल का नाम		एलडीसीए का नाम
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह *	1.	अण्डमान और निकोबार
2	आंध्र प्रदेश	2.	आदिलाबाद
		3.	अनन्तपुर(गुन्टकल)
		4.	चित्तूर
		5.	कुडप्पा
		6.	राजामुंदरी
		7.	गुन्टूर
		8.	हैदराबाद
		9.	करीमनगर
		10.	खम्मम
		11.	विजयवाड़ा
		12.	कुरनूल
		13.	महबूबनगर
		14.	संगारेड्डी
		15.	नलगोंडा
		16.	नेल्लोर
		17.	निजामाबाद
		18.	अंगोले
		19.	श्रीकाकुलम
		20.	विजयनगरम
		21.	विशाखापट्टनम
		22.	वारंगल
		23.	ईलूरू
3	असम	24.	तिनसुकिया(डिबरूगढ़)
		25.	गुवाहाटी
		26.	जोरहार
		27.	बोंगाईगांव(कोकराझार)
		28.	नौगांवों
		29.	सिलचर
		30.	तेजपुर
4	बिहार	31.	आरा
		32.	भागलपुर
		33.	छपरा
		34.	डाल्टनगंज
		35.	दरभंगा

		36.	देवघर (डुमका)
		37.	धनबाद
		38.	गया
		39.	हजारीबाग
		40.	जमशेदपुर
		41.	कटिहार
		42.	मुंगेर
		43.	मोतीहारी
		44.	मुजफ्फरपुर
		45.	पटना
		46.	रांची
		47.	सहरसा
		48.	ससाराम
5	गुजरात	49.	अहमदाबाद
		50.	अमरेली
		51.	भरूच
		52.	भावनगर
		53.	भुज
		54.	गोधरा
		55.	हिम्मतनगर
		56.	जामनगर
		57.	जुनागढ़
		58.	मेहसाना
		59.	नाडिआड
		60.	पालनपुर
		61.	राजकोट
		62.	सूरत
		63.	सुरेन्दरनगर
		64.	वडोदरा
		65.	वलसाड़
6	हिमाचल प्रदेश	66.	हमीरपुर
		67.	कांगडा(धर्मशाला)
		68.	कुल्लू
		69.	मण्डी
		70.	शिमला
		71.	सोलन
7	हरियाणा	72.	अम्बाला
		73.	गुडगांव

		74.	हिसार
		75.	जींद
		76.	करनाल
		77.	नारनौल
		78.	रोहतक
		79.	सोनीपत
8	जम्मू और कश्मीर	80.	जम्मू
		81.	लेह
		82.	राजौरी
		83.	श्रीनगर
		84.	उधमपुर
9	केरल	85.	अलेप्पी
		86.	कन्नोनूर
		87.	अरनाकुलम
		88.	कवरत्ती
		89.	कोट्टायम
		90.	कालीकट(कोजीकोडे)
		91.	पालघाट
		92.	कुइलोन
		93.	तिरूवल्ला
		94.	त्रिचुर
		95.	त्रिवेन्द्ररम
10	कर्नाटक	96.	बेंगलूरू
		97.	बेलगांव
		98.	बेल्लारी
		99.	बीदर
		100.	बिजापुर
		101.	चिकमंगलूर
		102.	दवणगेरे
		103.	गुलबर्गा
		104.	हासन
		105.	हुबली
		106.	उत्तरी कन्नड़ा (कारवाड)
		107.	कोलार
		108.	मांडया
		109.	दक्षिण कन्नडा(मंगलौर)
		110.	कोडागू (माडीकेरी)
		111.	मैसूर

		112.	सिमोगा
		113.	रायचूर
		114.	तुमकुर
11	महाराष्ट्र	115.	अहमदनगर
		116.	अकोला
		117.	अमरावती
		118.	औरंगाबाद
		119.	बंडारा
		120.	भीर
		121.	मुंबई
		122.	बुल्डाना
		123.	चंदरपुर
		124.	धुलिया
		125.	गढ़चिरौली
		126.	जलगांव
		127.	जालना
		128.	कल्याण
		129.	कोल्हापुर
		130.	कुडाल
		131.	लाटूर
		132.	नागपुर
		133.	नांदेड़
		134.	नासिक
		135.	उस्मानाबाद
		136.	पणजी
		137.	परभनी
		138.	पेन
		139.	पुणे
		140.	रत्नागिरी
		141.	सांगली
		142.	सतारा
		143.	सोलापुर
		144.	वर्धा
		145.	यवतमाल
12	मध्य प्रदेश	146.	सरगुजा(अम्बिकापुर)
		147.	बालाघाट
		148.	बेतुल
		149.	भोपाल

		150.	बिलासपुर
		151.	छत्रपुर
		152.	छिन्दवाड़ा
		153.	दामोह
		154.	देवास
		155.	धार
		156.	दुर्ग
		157.	गुना
		158.	ग्वालियर
		159.	इन्दौर
		160.	इटारसी
		161.	जबलपुर
		162.	जगदलपुर
		163.	झाबुआ
		164.	खंडवा
		165.	खरगांव
		166.	मांडला
		167.	मन्दसौर
		168.	मुरैना
		169.	नरसिंहपुर
		170.	पन्ना
		171.	रायगढ़
		172.	रायपुर
		173.	रायसेन
		174.	राजगढ़
		175.	रतलाम
		176.	रीवा
		177.	सागर
		178.	सतना
		179.	सिवनी
		180.	शाहडोल
		181.	शाजापुर
		182.	शिवपुरी
		183.	सिधी
		184.	उज्जैन
		185.	विदिशा
13	पूर्वोत्तर	186.	त्रिपुरा(अगरतला)
		187.	मिजोरम(आइजवाल)

		188.	मणीपुर(इम्फाल)
		189.	नागालैण्ड(कोहिमा)
		190.	मेघालय(शिलाँग)
		191.	अरूणाचल प्रदेश(जिरो)
14	उडीसा	192.	बालासोर
		193.	बारीपाडा
		194.	बेहरामपुर
		195.	भवानीपटना
		196.	भुवनेश्वर(पुरी)
		197.	बोलंगिर
		198.	कटक
		199.	देंकनाल
		200.	कोरापुट
		201.	फुलवानी
		202.	सुन्दरगढ(राउरकेला)
		203.	सम्भलपुर
15	पंजाब	204.	अमृतसर
		205.	बढिंडा
		206.	चण्डीगढ़
		207.	फिरोजपुर
		208.	होशियारपुर
		209.	जालन्धर
		210.	लुधियाना
		211.	पठानकोट
		212.	पटियाला
		213.	रोपड
		214.	संगरूर
16	राजस्थान	215.	अजमेर
		216.	अलवर
		217.	बांसवाड़ा
		218.	बाड़मेर
		219.	भरतपुर
		220.	भीलवाड़ा
		221.	बीकानेर
		222.	बुन्दी
		223.	चित्तौड़गढ़
		224.	चुरू
		225.	जयपुर

		226.	जसलमेर
		227.	झालावाड़
		228.	झुन्झनूं
		229.	जोधपुर
		230.	कोटा
		231.	नागपुर
		232.	पाली(मारवाड़)
		233.	सवाईमाधोपुर
		234.	सिकर
		235.	सिरोही
		236.	श्रीगंगानगर
		237.	टोंक
		238.	उदयपुर
17	तमिलनाडु	239.	चेन्नै
		240.	कोयमबटूर
		241.	कुड्डालोर
		242.	धर्मपुरी
		243.	इरोड
		244.	चिन्गलपेट(कांचीपुरम)
		245.	करईकुडी
		246.	मदुरई
		247.	नागरकोईल
		248.	ऊटी
		249.	पोंडिचेरी
		250.	सेलम
		251.	तंजावुर
		252.	तिरूनेलवेली
		253.	त्रिची
		254.	तूतीकोरिन
		255.	वेल्लोर
		256.	विरूदुनगर
18	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	257.	इलाहाबाद
		258.	आजमगढ़
		259.	बहराइच
		260.	बलिया
		261.	बांदा
		262.	बाराबंकी
		263.	बस्ती

		264.	देवरिया
		265.	इटावा
		266.	फैजाबाद
		267.	फरूखाबाद
		268.	फतेहपुर
		269.	गाजीपुर
		270.	गोंडा
		271.	गोरखपुर
		272.	हमीरपुर
		273.	हल्द्वानी
		274.	जौनपुर
		275.	झांसी
		276.	कानपुर
		277.	खेरी
		278.	लखनऊ
		279.	मैनपुरी
		280.	मिर्जापुर
		281.	उरंई
		282.	प्रतापगढ़
		283.	रायबरेली
		284.	शाहजहाँपुर
		285.	सीतापुर
		286.	सुल्तानपुर
		287.	उन्नाव
		288.	वाराणसी
19	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	289.	आगरा
		290.	अलीगढ़
		291.	अल्मोड़ा
		292.	बदायूं
		293.	बरेली
		294.	बिजनोर
		295.	कोटद्वार
		296.	देहरादून
		297.	एटा
		298.	गाजियाबाद
		299.	मथुरा
		300.	मेरठ
		301.	मुरादाबाद

		302.	मुजफ्फरनगर
		303.	नैनीताल
		304.	पीलीभीत
		305.	रामपुर
		306.	सहारनपुर
		307.	उत्तरकाशी
20	पश्चिम बंगाल	308.	आसनसोल
		309.	बांकुरा
		310.	बेहरामपुर
		311.	कोलकाता
		312.	कूचबिहार
		313.	गंगटोक
		314.	जलपाईगुडी
		315.	मिदनापुर(खडगपुर)
		316.	क्रिसनगर
		317.	माल्दा
		318.	पुरूलिया
		319.	बालुरघाट(रायगंज)
		320.	दार्जिलिंग(सिलीगुडी)
		321.	सुरी
21	महानगर	322.	दिल्ली
			कोलकाता *
			मुंबई *

* ये महानगर, जैसा कि अनुबंध-I में भी दिखाया गया है उनके अपने-अपने दूरसंचार परिमण्डलों का हिस्सा हैं। कोलकाता और मुंबई को एकीकृत अभिगम सेवा और सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अलग सेवा क्षेत्र के रूप में लिया गया है।

अनुबंध-क

राजस्व और लाइसेंस शुल्क के विवरण का प्रारूप

..... (प्रचालक का नाम और पता)

राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा

वित्त वर्ष ..... की ..... तिमाही के लिए राजस्व और लाइसेंस शुल्क का विवरण

(धनराशि रु0 में)

क्र0सं0	विवरण	पिछली तिमाही के वास्तविक आंकड़े	चालू तिमाही के लिए अनुमानित आंकड़े	पिछली तिमाही तक के संचयी आंकड़े
1.	**सेवा से प्राप्त राजस्व :**			
i.	लाइसेंस करार की अनुसूची-I के खंड-2 मे परिभाषित के अनुसार एनएलडी सेवा के प्रावधान से प्राप्त राजस्व			
ii.	पूरक/मूल्यवर्धित सेवा से प्राप्त राजस्व			
iii.	सेवा कर			
iv.	कोई अन्य आय/विविध प्राप्ति			
2.	**निवेशों से आय**			
i.	ब्याज से आय			
ii.	लाभांश आय			
iii.	निवेशों से कोई अन्य विविध प्राप्ति			
3.	**अप्रतिदेय जमा**			
4.	**अन्य अवसंरचना की भागीदारी/पट्टे पर देने से प्राप्त राजस्व**			
5.	**विविध राजस्व**			
क क	**लाइसेंसधारी कंपनी का**			

342

	सकल राजस्व			
	कटौती :			
1.	पास थ्रू प्रकृति की कॉल के कारण अन्य सेवा प्रदाताओं से प्राप्त वास्तविक राजस्व (प्रचालक वार ब्योरा) नोट : अवसंरचना की हायरिंग के संबंध में पट्टा/किराया प्रभार की कटौती नहीं की जाएगी।			
2.	सरकार को देय सेवा कर			
ख ख	**कटौती योग्य कुल राजस्व**			
ग ग	**समायोजित सकल राजस्व (क क-ख ख)**			
	समायोजित सकल राजसव् के ..... @ पर राजस्व हिस्सा			

शपथ-पत्र

मैं.....आयु लगभग.....वर्ष पुत्र श्री.....
निवासी.....शपथ लेता हूँ और निम्नानुसार घोषणा करता हूँ :

1. कि मैं.....,.....(कंपनी का नाम) का ..... सेवा का लाइसेंसधारक हूँ और मैं कंपनी .....(कंपनी का नाम) के नाम पर शपथ-पत्र देने के लिए इस कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक.....को पास किए गए संकल्प के तहत विधिवत प्राधिकृत हूँ ।

2. कि भाग.....की अनुसूची.....की शर्त सं0..... के अनुपालन में और कंपनी तथा दूरसंचार विभाग के बीच हुए लाइसेंस करार सं0.....के अनुबंध.....के अनुपालन में, लाइसेंस शुल्क के भुगतान के लिए, ...रु0 (रुपऐ.....) का भुगतान.....से .....तक की अवधि के लिए किया जा रहा है। "राजस्व" और लाइसेंस शुल्क के परिकलन का विवरण अनुबंध.....(संलग्न) के अनुसार दिया गया है।

3. कि पैरा 1 व 2 और अनुबंध-क की विषय-वस्तु मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही है तथा कंपनी के रिकार्ड पर आधारित है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

स्थान.....में दिनांक.....को यह सत्यापित किया गया कि शपथ-पत्र के पैरा 1 से 3 तथा अनुबंध-क की विषय-वस्तु मेरी जानकारी में सत्य और सही है इसका कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

अभिसाक्षी

अनुबंध-ख

राजस्व और लाइसेंस शुल्क की स्थिति पर लेखा परीक्षा की रिपोर्ट संबंधी प्रपत्र

सेवा में,

निदेशक मंडल,
.....
.....
.....

हमने .....को समाप्त तिमाही के लिए .....(प्रचालकों के नाम) के राजस्व व लाइसेंस शुल्क संबंधी संलग्न विवरण की जांच कर ली है। हमने.....को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ व हानि खाते में दर्शाए गए आंकड़ों के साथ कंपनी के राजस्व और लाइसेंस शुल्क संबंधी विवरण में दर्शाए गए .....को समाप्त तिमाही के संचयी आंकड़ों के समाधान की जांच भी की है, जिसकी लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई थी। हम समझते हैं कि उपर्युक्त विवरण (और संराधन) को कंपनी व दूरसंचार विभाग के बीच हुए लाइसेंस करार सं0.....के अनुसार कंपनी द्वारा सरकार को देय लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया जाना है। हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचना और विवरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

2. हमारे विचार से, कंपनी के पास राजस्व के संबंध में एक पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो इसके आकार और कारोबार के अनुरूप है। यह प्रणाली, हमारे विचार से, उचित रूप से आश्वस्त करती है कि राजस्व का कोई भी भाग बिना रिकार्ड किया हुआ नहीं है और कि सारा राजस्व उचित राशि और उचित अवधि में रिकार्ड किया जाता है।

3. बिक्री कर, सेवा कर या पीएसटीएन/टॉल/रोमिंग प्रभारों के रूप में देय कोई भी राशि, निम्नलिखित .....के अतिरिक्त, इनके देय होने की तारीख से दो माह से अधिक की अवधि के लिए तिमाही (यों) के अंतिम दिन तक बकाया नहीं थी।

4. हमारे विचार से और हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, यह विवरण इस विषय पर उक्त लाइसेंस करार में निहित मानदंडों/दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है और यह निम्नलिखित के अतिरिक्त उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर परिकलित अवधि के लिए देय राजस्व व लाइसेंसशुल्क को सत्य व उचित रूप से दर्शाता है :

* जो लागू नहीं है उसे काट दें।

अनुबंध - ग

वार्षिक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए मानदंड

- लेखों को लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा प्रचालित प्रत्येक दूरसंचार सेवा के लिए पृथक रूप से रखा जाएगा।

- प्राप्त राजस्व की किसी भी श्रेणी जिसकी राशि कुल प्राप्त राजस्व का 5% से अधिक हो, को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा और किसी अन्य मद/श्रेणी के साथ नहीं मिलाया जाएगा।

- प्राप्त राजस्व में निम्नलिखित शामिल होंगे :

  (क) उक्त अवधि के लिए बिल में प्रभारित करने योग्य सभी राशियां

  (ख) पिछले वर्षों के ऐसे सभी बिल जो पिछले वर्षों के लाभ व हानि संबंधी खातों (में प्रविष्टि करने) से छोड़ दिए गए थे।

  (ग) ग्राहकों/फ्रैंचाइजियों से एकत्रित की गई कोई भी अप्रतिदेय जमा राशि जितनी कि ये उक्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते में जमा की गई हों।

- उपर्युक्त प्रत्येक मद के लिए सहायक रजिस्टर/लेजर रखे जाएंगे ताकि सत्यापन भी आसान हो सके।

- सेवा राजस्व (बिल योग्य राशि) सकल रूप में दर्शाया जाएगा और छूट/कटौती का विवरण पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

- उपभोक्ताओं से ली गई प्रतिभूति अथवा कोई अन्य जमा राशि प्रत्येक श्रेणी के लिए पृथक रूप से दर्शायी जाएगी और जो राशि प्रतिदेय के लिए देय हो गई है और जिसका भुगतान अभी नहीं किया गया है उसे भी दो श्रेणियों में प्रकट किया जाएगा अर्थात्
  - 45 दिनों तक
  - 45 दिनों से अधिक
- बिल किया गया, एकत्र किया गया और सरकार को भेजा गया सेवा कर पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- बिल किया गया, एकत्र किया गया और सरकार को भेजा गया बिक्री कर पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- वस्तुओं की बिक्री से हुई आय का विवरण इस प्रकार दिया जाएगा जिसमें प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत आय और बेची गई मदों की संख्या दर्शायी गई है। बेची गई वस्तुओं के मूल्य के परिकलन के साथ-साथ वस्तुसूची के मूल्यांकन का तरीका भी प्रकट किया जाएगा।

- बिक्री सकल रूप में दर्शाई जाएगी और अनुमत छूट/कटौती तथा बिक्री प्रतिफल का विवरण पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।
- ब्याज और लाभांश से होने वाली आय पृथक रूप से दर्शायी जाएगी, इसमें लाभ हानि खाते के आय पक्ष पर इनके प्रति किया जा रहा कोई भी खर्च शामिल नहीं है।
- स्टॉक की अधिकता/कमी का विवरण अलग से दर्शाया जाएगा।
- पिछले वर्षों के ऋणों को यदि कोई हो, की वापसी के विवरण को घटक-वार विविध शीर्षों के तहत दर्शाया जाएगा। (यथा वे अप्रापनीय देयताएं इत्यादि जिनकी वसूली हो गई हो)
- आय का मदवार विवरण जिसे संगत व्यय के समक्ष अंकित किया गया है।

अंतिम एनएलडी लाइसेंस करार 14.12.2005

प्रथम चरण के लिए नेटवर्क रॉल-आउट दायित्व को पूरा करने के संबध में बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति
दूरसंचार विभाग के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा (नाम), निदेशक (बीएस), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसप्रदाता कहा गया है) के मार्फत मैसर्स ..... का ..... (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) को उक्त लाइसेंस के खंड 9.2 में निहित शर्तों के उचित अवलोकन और निष्पादन के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा के I चरण को पूरा करने के लिए प्रतिभूति के रूप में 100 करोड़ रु0 (एक सौ करोड़ रु0) तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लाइसेंस सं0 ..... दिनांक ..... (जिसे इसके बाद उक्त लाइसेंस कहा गया है) की शर्तों के अनुसार ..... सेवा की स्थापना रखरखाव और प्रचालन के लिए हम .....(बैंक/आईपीएफआई जो भी हो का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसके बाद बैंक/आईपीएफआई कहा गया है) लाइसेंसधारी के अनुरोध पर एतद्द्वारा लाइसेंसप्रदाता को अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी देते हैं कि लाइसेंसधारी वे सभी आवश्यक और कुशल सेवाएं प्रदान करेगा जो लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस के अनुसार सेवा के I चरण के संबध में और/अथवा उक्त लाइसेंस के लिए प्रदान की जानी अपेक्षित हों ओर यह भी गारंटी देते हैं कि उक्त लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी द्वारा जो सेवा प्रदान की जाएंगी, वे वास्तव में लाइसेंसप्रदाता की संतुष्टि के अनुरूप लाइसेंस की शर्तों के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

2. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) उक्त लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस को किसी प्रकार से भंग किए जाने के कारण लाइसेंसप्रदाता को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा लाइसेंसप्रदाता को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए लाइसेंसप्रदाता को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो .....रु0 (..... रुपए) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) उक्त लाइसेंस के निबंधनों के अनुसरण में, एतद्द्वारा लाइसेंसप्रदाता को, लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसार प्रथम चरण के लिए उसके/उनके समस्त दायित्वों का उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रुप में, पूर्णतः अपरिवर्तनीय और बिना शर्त 100 करोड़ रु0 (एक सौ करोड़ रुपए) मात्र की राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं।

4. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस गारंटी के तहत देय और भुगतान की जाने वाली राशियों का बिना किसी आपत्ति के केवल मांग करने पर बिना लाइसेंसधारी की मदद के उनका भुगतान करने का भी वचन देते हैं।

5. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की सहमति देते हैं कि इस बात के संबंध में, कि क्या लाइसेंसधारी यथा पूर्वोक्त लाइसेंस के अनुसार अपने कर्त्तव्यों और

दायित्वों का निष्पादन अथवा निर्वहन करने में असफल रहा है अथवा उसने उनको पूरा नहीं किया है और /अथवा क्या सेवा कमियों और दोषों से रहित है और क्या यह उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप है अथवा नहीं है तथा इसके तहत बैंक ..... (आईपीएफआई का नाम) द्वारा लाइसेंसप्रदाता को कितनी राशि देय है, लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम और बैंक पर बाध्यकारी होगा।

6. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की घोषणा और सहमति भी देते हैं कि :

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और लाइसेंसप्रदाता को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने तथा लाइसेंसप्रदाता के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस की शर्तों का पालन पूर्णतः और समुचित रूप में कर दिया गया है और तदनुसार इस गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) लाइसेंसप्रदाता को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त लाइसेंस के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त लाइसेंसधारी द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर लाइसेंसप्रदाता द्वारा उक्त लाइसेंसधारी के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त लाइसेंस से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने अथवा उक्त लाइसेंसधारी का समय बढ़ाए जाने अथवा लाइसेंसप्रदाता की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा लाइसेंसप्रदाता द्वारा उक्त लाइसेंसप्रधारी से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभू के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) लाइसेंसधारी के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में लाइसेंसप्रदाता की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा लाइसेंसधारी द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

(ङ) हम बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) अथवा लाइसेंसधारी के संविधान में कोई परिवर्तन होने पर भी यह गारंटी वैध रहेगी।

7. हम, बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान लाइसेंसप्रदाता की लिखित रुप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

दिनांक

.....दिन.....कृते.....

..

(बैंक का नाम/..... (आईपीएफआई का नाम))

साक्षी :

1.....

.....

.....

.....

2.....

.....

.....

.....

द्वितीय चरण के लिए नेटवर्क रॉल-आउट दायित्व को पूरा करने के संबध में बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति
दूरसंचार विभाग के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा (नाम), निदेशक (बीएस), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसप्रदाता कहा गया है) के मार्फत मैसर्स ..... का ..... (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) को उक्त लाइसेंस के खंड 9.2 में निहित शर्तों के उचित अवलोकन और निष्पादन के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा के II चरण को पूरा करने के लिए प्रतिभूति के रूप में 100 करोड़ रु0 (एक सौ करोड़ रु0) तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लाइसेंस सं0 ..... दिनांक ..... (जिसे इसके बाद उक्त लाइसेंस कहा गया है) की शर्तों के अनुसार ..... सेवा की स्थापना रखरखाव और प्रचालन के लिए हम .....(बैंक/आईपीएफआई जो भी हो का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसके बाद बैंक/आईपीएफआई कहा गया है) लाइसेंसधारी के अनुरोध पर एतद्द्वारा लाइसेंसप्रदाता को अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी देते हैं कि लाइसेंसधारी वे सभी आवश्यक और कुशल सेवाएं प्रदान करेगा जो लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस के अनुसार सेवा के II चरण के संबध में और/अथवा उक्त लाइसेंस के लिए प्रदान की जानी अपेक्षित हों ओर यह भी गारंटी देते हैं कि उक्त लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी द्वारा जो सेवा प्रदान की जाएंगी, वे वास्तव में लाइसेंसप्रदाता की संतुष्टि के अनुरूप लाइसेंस की शर्तों के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

2. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) उक्त लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस को किसी प्रकार से भंग किए जाने के कारण लाइसेंसप्रदाता को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा लाइसेंसप्रदाता को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए लाइसेंसप्रदाता को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो .....रु0 (..... रुपए) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) उक्त लाइसेंस के निबंधनों के अनुसरण में, एतद्द्वारा लाइसेंसप्रदाता को, लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसार द्वितीय चरण के लिए उसके/उनके समस्त दायित्वों का उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रुप में, पूर्णतः अपरिवर्तनीय और बिना शर्त 100 करोड़ रु0 (एक सौ करोड़ रुपए) मात्र की राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं।

4. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस गारंटी के तहत देय और भुगतान की जाने वाली राशियों का बिना किसी आपत्ति के केवल मांग करने पर बिना लाइसेंसधारी की मदद के उनका भुगतान करने का भी वचन देते हैं।

5. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की सहमति देते हैं कि इस बात के संबंध में, कि क्या लाइसेंसधारी यथा पूर्वोक्त लाइसेंस के अनुसार अपने कर्त्तव्यों और

दायित्वों का निष्पादन अथवा निर्वहन करने में असफल रहा है अथवा उसने उनको पूरा नहीं किया है और /अथवा क्या सेवा कमियों और दोषों से रहित है और क्या यह उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप है अथवा नहीं है तथा इसके तहत बैंक ..... (आईपीएफआई का नाम) द्वारा लाइसेंसप्रदाता को कितनी राशि देय है, लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम और बैंक पर बाध्यकारी होगा।

6. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की घोषणा और सहमति भी देते हैं कि :

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और लाइसेंसप्रदाता को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने तथा लाइसेंसप्रदाता के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस की शर्तों का पालन पूर्णतः और समुचित रूप में कर दिया गया है और तदनुसार इस गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) लाइसेंसप्रदाता को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त लाइसेंस के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त लाइसेंसधारी द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर लाइसेंसप्रदाता द्वारा उक्त लाइसेंसधारी के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त लाइसेंस से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने अथवा उक्त लाइसेंसधारी का समय बढ़ाए जाने अथवा लाइसेंसप्रदाता की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा लाइसेंसप्रदाता द्वारा उक्त लाइसेंसप्रधारी से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभू के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) लाइसेंसधारी के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में लाइसेंसप्रदाता की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा लाइसेंसधारी द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

(ङ) हम बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) अथवा लाइसेंसधारी के संविधान में कोई परिवर्तन होने पर भी यह गारंटी वैध रहेगी।

7. हम, बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान लाइसेंसप्रदाता की लिखित रुप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

दिनांक

.....दिन.....कृते.....

..

(बैंक का नाम/..... (आईपीएफआई का नाम))

साक्षी :

1.....
.....
.....
.....

2.....
.....
.....
.....

तृतीय चरण के लिए नेटवर्क रॉल-आउट दायित्व को पूरा करने के संबध में बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति
दूरसंचार विभाग के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा (नाम), निदेशक (बीएस), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसप्रदाता कहा गया है) के मार्फत मैसर्स ..... का ..... (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) को उक्त लाइसेंस के खंड 9.2 में निहित शर्तों के उचित अवलोकन और निष्पादन के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा के III चरण को पूरा करने के लिए प्रतिभूति के रूप में 100 करोड़ रु0 (एक सौ करोड़ रु0) तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लाइसेंस सं0 ..... दिनांक ..... (जिसे इसके बाद उक्त लाइसेंस कहा गया है) की शर्तों के अनुसार ..... सेवा की स्थापना रखरखाव और प्रचालन के लिए हम .....(बैंक/आईपीएफआई जो भी हो का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसके बाद बैंक/आईपीएफआई कहा गया है) लाइसेंसधारी के अनुरोध पर एतद्द्वारा लाइसेंसप्रदाता को अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी देते हैं कि लाइसेंसधारी वे सभी आवश्यक और कुशल सेवाएं प्रदान करेगा जो लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस के अनुसार सेवा के III चरण के संबध में और/अथवा उक्त लाइसेंस के लिए प्रदान की जानी अपेक्षित हों ओर यह भी गारंटी देते हैं कि उक्त लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी द्वारा जो सेवा प्रदान की जाएंगी, वे वास्तव में लाइसेंसप्रदाता की संतुष्टि के अनुरूप लाइसेंस की शर्तों के अनुसार निष्पादित की जाएगी।

2. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) उक्त लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस को किसी प्रकार से भंग किए जाने के कारण लाइसेंसप्रदाता को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा लाइसेंसप्रदाता को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए लाइसेंसप्रदाता को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो .....रु0 (..... रुपए) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) उक्त लाइसेंस के निबंधनों के अनुसरण में, एतद्द्वारा लाइसेंसप्रदाता को, लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुसार तृतीय चरण के लिए उसके/उनके समस्त दायित्वों का उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रुप में, पूर्णतः अपरिवर्तनीय और बिना शर्त 100 करोड़ रु0 (एक सौ करोड़ रुपए) मात्र की राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं।

4. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस गारंटी के तहत देय और भुगतान की जाने वाली राशियों का बिना किसी आपत्ति के केवल मांग करने पर बिना लाइसेंसधारी की मदद के उनका भुगतान करने का भी वचन देते हैं।

5. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की सहमति देते हैं कि इस बात के संबंध में, कि क्या लाइसेंसधारी यथा पूर्वोक्त लाइसेंस के अनुसार अपने कर्त्तव्यों और

दायित्वों का निष्पादन अथवा निर्वहन करने में असफल रहा है अथवा उसने उनको पूरा नहीं किया है और /अथवा क्या सेवा कमियों और दोषों से रहित है और क्या यह उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप है अथवा नहीं है तथा इसके तहत बैंक ..... (आईपीएफआई का नाम) द्वारा लाइसेंसप्रदाता को कितनी राशि देय है, लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम और बैंक पर बाध्यकारी होगा।

6. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की घोषणा और सहमति भी देते हैं कि :

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और लाइसेंसप्रदाता को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने तथा लाइसेंसप्रदाता के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस की शर्तों का पालन पूर्णतः और समुचित रूप में कर दिया गया है और तदनुसार इस गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) लाइसेंसप्रदाता को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त लाइसेंस के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त लाइसेंसधारी द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर लाइसेंसप्रदाता द्वारा उक्त लाइसेंसधारी के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त लाइसेंस से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने अथवा उक्त लाइसेंसधारी का समय बढ़ाए जाने अथवा लाइसेंसप्रदाता की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा लाइसेंसप्रदाता द्वारा उक्त लाइसेंसप्रधारी से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभू के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) लाइसेंसधारी के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में लाइसेंसप्रदाता की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा लाइसेंसधारी द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

(ङ) हम बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) अथवा लाइसेंसधारी के संविधान में कोई परिवर्तन होने पर भी यह गारंटी वैध रहेगी।

7. हम, बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान लाइसेंसप्रदाता की लिखित रुप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

दिनांक

.....दिन.....कृते.....

..

(बैंक का नाम/..... (आईपीएफआई का नाम))

साक्षी :

1.....
.....
.....
.....

2.....
.....
.....
.....

चरण-IV के लिए नेटवर्क रॉल-आउट दायित्व को पूरा करने के संबध में बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति
दूरसंचार विभाग के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा (नाम), निदेशक (बीएस), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसप्रदाता कहा गया है) के मार्फत मैसर्स ..... का ..... (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) को उक्त लाइसेंस के खंड 9.2 निहित शर्तों के उचित अवलोकन और निष्पादन के लिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सेवा के चरण-IV को पूरा करने के लिए प्रतिभूति के रूप में 100 करोड़ रु0 (एक सौ करोड़ रु0) तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लाइसेंस सं0 ..... दिनांक ..... (जिसे इसके बाद उक्त लाइसेंस कहा गया है) की शर्तों के अनुसार ..... सेवा की स्थापना, रखरखाव और प्रचालन के लिए हम .....(बैंक/आईपीएफआई जो भी हो का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसके बाद बैंक/आईपीएफआई कहा गया है) लाइसेंसधारी के अनुरोध पर एतद्द्वारा लाइसेंसप्रदाता को अपरिवर्तनीय और बिना शर्त गारंटी देते हैं कि लाइसेंसधारी वे सभी आवश्यक और कुशल सेवाएं प्रदान करेगा जो लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस के अनुसार सेवा के चरण-IV के संबध में और/अथवा उक्त लाइसेंस के लिए प्रदान की जानी अपेक्षित हों ओर यह भी गारंटी देते हैं कि उक्त लाइसेंस के तहत लाइसेंसधारी द्वारा जो सेवा प्रदान की जाएंगी, वे वास्तव में लाइसेंसप्रदाता की संतुष्टि के अनुरूप लाइसेंस की शर्तों के अनुसार निष्पादित की जाएगीं।

2. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) उक्त लाइसेंसधारी द्वारा अनुबंध को किसी प्रकार से भंग किए जाने के कारण लाइसेंसप्रदाता को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा लाइसेंसप्रदाता को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए लाइसेंसप्रदाता को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो .....रु0 (मात्र ..... रुपए) से अधिक न हो।

3. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) उक्त लाइसेंस के निबंधनों के अनुसरण में, एतद्द्वारा लाइसेंसप्रदाता को, लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस के तहत चरण-IV के उनके समस्त दायित्वों का उचित और निष्ठापूर्वक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रुप में, पूर्णतः अपरिवर्तनीय और बिना शर्त 100 करोड़ रु0 (मात्र एक सौ करोड़ रुपए) की राशि का भुगतान करने की गारंटी देते हैं।

4. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस गारंटी के तहत देय और भुगतान की जाने वाली राशियों का बिना किसी आपत्ति के केवल मांग करने पर बिना लाइसेंसधारी की मदद के उनका भुगतान करने का भी वचन देते हैं।

357

5. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की सहमति देते हैं कि इस बात के संबंध में, कि क्या लाइसेंसधारी यथा पूर्वोक्त लाइसेंस के अनुसार अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों का निष्पादन अथवा निर्वहन करने में असफल रहा है अथवा उसने उनको पूरा नहीं किया है और /अथवा क्या सेवा कमियों और दोषों से रहित है और क्या यह उक्त लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप है अथवा नहीं है तथा इसके तहत बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) द्वारा लाइसेंसप्रदाता को कितनी राशि देय है, लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम और बैंक/(आईपीएफआई का नाम) पर बाध्यकारी होगा।

6. हम, बैंक/ ..... (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की घोषणा और सहमति भी देते हैं कि :

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से 7 वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और लाइसेंसप्रदाता को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने तथा लाइसेंसप्रदाता के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त लाइसेंसधारी द्वारा उक्त लाइसेंस की शर्तों का पालन पूर्णतः और समुचित रूप में कर दिया गया है और तदनुसार इस गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) लाइसेंसप्रदाता को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त लाइसेंस के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त लाइसेंसधारी द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर लाइसेंसप्रदाता द्वारा उक्त लाइसेंसधारी के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त लाइसेंस से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने अथवा उक्त लाइसेंसधारी का समय बढ़ाए जाने अथवा लाइसेंसप्रदाता की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा लाइसेंसप्रदाता द्वारा उक्त लाइसेंसप्रदाता से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभू के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) लाइसेंसधारी के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में लाइसेंसप्रदाता की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा लाइसेंसधारी द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

(ङ) हम बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) अथवा लाइसेंसधारी के संविधान में कोई परिवर्तन होने पर भी यह गारंटी वैध रहेगी।

7. हम, बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान लाइसेंसप्रदाता की लिखित रुप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

दिनांक

.....दिन.....कृते.....

बैंक/आईपीएफआई का नाम का नाम

साक्षी :

1..... 2. .....

....

....

....

अंतिम एनएलडी लाइसेंस करार 14.12.2005

वित्तीय बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
दूरसंचार विभाग के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा (नाम) निदेशक, (बीएस) दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसप्रदाता कहा गया है) के मार्फत, मैसर्स.....का .....(जिन्हें इसके बाद "लाइसेंसधारक" कहा गया है) को कथित लाइसेंस में निहित अनुबंध व शर्तों पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कथित लाइसेंस शुल्क के साथ-साथ ऐसे अन्य शुल्क/देय या प्रभार जो लाइसेंस के अधीन लाइसेंसधारक द्वारा दिए जाने हैं, के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में कथित लाइसेंस के तहत.....रु0(.....रु0 मात्र) तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लाइसेंस सं0 .....दिनांक.....(जिसे इसके बाद "लाइसेंस" कहा गया है) के अनुसार राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (जिसे इसके बाद "सेवा" कहा गया है) की स्थापना, रखरखाव और प्रचालन के लिए सहमति दिए जाने के मद्देनज़र, हम.....(बैंक का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया) लाइसेंसधारक के अनुरोध पर एतद्द्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से गारंटी देते हैं कि लाइसेंसधारक लाइसेंस शुल्क और अन्य प्रभारों सहित किंतु यहीं तक सीमित नहीं, सभी देय राशियों का भुगतान करेगा।

2. हम, बैंक/ (आईपीएफआई का नाम) इस बैंक गारंटी की अवधि बढ़ाने अथवा मौजूदा गारंटी के बदले नई गारंटी दिए जाने अथवा लाइसेंस में निर्धारित अवधियों के भीतर उपर्युक्त सभी शुल्कों, बकायों और प्रभारों अथवा इनके किसी भाग का भुगतान करने में लाइसेंसधारक की असफलता के कारण लाइसेंसप्रदाता को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा लाइसेंसप्रदाता को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए लाइसेंसप्रदाता को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो.....रु0 (.....रुपये) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक/ (आईपीएफआई का नाम) मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रूप में लाइसेंसप्रदाता को मांग पर तुरंत और बिना विलंब के ऐसी राशि जो.....रु0 (.....रुपये) मात्र से अधिक न हो, का भुगतान करने का वचन देते हैं।

4. हम, बैंक/ (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि लाइसेंस धारक ने कथित लाइसेंस के तहत देय लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य शुल्क या प्रभार या इनके किसी भाग का भुगतान नहीं किया है या बैंक गारंटी का नवीकरण नहीं कराया है इस बारे में लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा और इसके तहत बैंक द्वारा लाइसेंसप्रदाता को देय राशि अंतिम होगी और हम पर बाध्यकर होगी।

5. हम, बैंक/.....(आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से छह माह की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और लाइसंसदाता को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने और उसके दावों का निपटान किए जाने अथवा उनका निष्पादन किए जाने अथवा लाइसेंसदाता के इस बात से संतुष्ट हो जाने तक प्रवर्तनीय रहेगा कि उक्त लाइसेंसधारक द्वारा उक्त लाइसेंस के अनुबंध व शर्तों का पालन समुचित रूप से किया गया है और तदनुसार गारंटी का निष्पादन कर दिया गया है।

(ख) लाइसेंसप्रदाता को हमारी सहमति के बिना और यहां नीचे दिए गए हमारे दायित्वों को किसी प्रकार प्रभावित किए बिना उक्त **लाइसेंसधारक** के किसी निबंधन अथवा शर्तों में परिवर्तन करने अथवा समय-समय पर उक्त **लाइसेंसधारक** द्वारा किन्हीं दायित्वों के निष्पादन की समयावधि बढ़ाने अथवा किसी समय को मुल्तवी करने अथवा समय-समय पर प्राधिकारी द्वारा उक्त **लाइसेंसधारक** के विरुद्ध प्रयोग की जाने वाली शक्तियों और उक्त **लाइसेंस** से संबंधित किन्हीं निबंधनों और शर्तों को छोड़ देने अथवा उनका प्रवर्तन करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और प्राधिकारी की ओर से छूट दिए जाने अथवा चूक हो जाने अथवा प्राधिकारी द्वारा उक्त **लाइसेंसधारक** से संतुष्ट हो जाने अथवा ऐसे किसी मामले या बात के कारण हम अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो जाएंगे जो प्रतिभूति के संबंध में कानून के अंतर्गत होगी परंतु इस उपबंध द्वारा हमें उपरोक्त बातों से मुक्त रखा गया है।

(ग) **लाइसेंसधारक** के विरूद्ध हमारा जो भी दावा होगा वह इसके तहत हमारे द्वारा पूर्व भुगतान और समस्त दायित्वों का पूर्ण रूप से निष्पादन किए जाने के अध्यधीन और अधीन होगा और जब तक इसके तहत हमारे दायित्व बाकी और बकाया न बचे हों, हम ऐसे किसी भुगतान अथवा निष्पादन के संबंध में प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति लिए बिना किसी कानूनी अधिकार अथवा किसी प्रकार के उपचार के अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे।

(घ) यह गारंटी अपरिवर्तनीय होगी और इसके तहत हमारे दायित्व हमारे द्वारा अथवा **लाइसेंसधारक** द्वारा किसी पूर्व सूचना की शर्त के अधीन नहीं होंगे।

(ङ) हम बैंक/..... (आईपीएफआई का नाम) अथवा लाइसेंसधारी के संविधान में कोई परिवर्तन होने पर भी यह गारंटी वैध रहेगी।

6. हम, **बैंक** यह वचन देते हैं कि हम इस गारंटी के लागू रहने की अवधि के दौरान प्राधिकारी की लिखित रूप में पहले से ली गई सहमति के बिना इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे।

दिनांक

.....दिन.....कृते.....

(बैंक का नाम)

साक्षी :

1.....

.....

2.....

वित्तीय बैंक गारंटी हेतु प्रपत्र
(डब्ल्यूपीसी शुल्क/रायल्टी हेतु)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
तार प्राधिकारी के मार्फत कार्यरत

भारत के राष्ट्रपति द्वारा (नाम) निदेशक, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, 20 अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसप्रदाता कहा गया है) के मार्फत, मैसर्स.....का .....(जिन्हें इसके बाद "लाइसेंसधारक" कहा गया है) को कथित लाइसेंस में निहित अनुबंध व शर्तों पर, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्पेक्ट्रम के उपयोग तथा बेतार टेलीग्राफी उपस्कर के स्वामित्व के लिए कथित शुल्क/रायल्टी के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में कथित लाइसेंस के तहत.....रु0(.....रु0 मात्र) तक की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने का प्रावधान है, लाइसेंस सं0 .....दिनांक.....(जिसे इसके बाद "लाइसेंस" कहा गया है) के अनुसार राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा (जिसे इसके बाद "सेवा" कहा गया है) स्थापना रखरखाव और प्रचालन के लिए सहमति दिए जाने के मद्देनज़र, हम.....(बैंक का नाम और पता व अन्य विवरण लिखें) (जिसे इसके बाद "बैंक" कहा गया) लाइसेंसधारक के अनुरोध पर एतद्द्वारा प्राधिकारी को अपरिवर्तनीय और अप्रतिबंधित रूप से गारंटी देते हैं कि लाइसेंसधारक स्पेक्ट्रम के उपयोग तथा बेतार टेलीग्राफी उपस्कर के स्वामित्व के लिए शुल्क/रायल्टी सहित किंतु यहीं तक सीमित नहीं, सभी देय राशियों का भुगतान करेगा।

2. हम, बैंक, (आईपीएफआई का नाम) इस गारंटी की अवधि बढ़ाने अथवा मौजूदा गारंटी के बदले नई गारंटी दिए जाने अथवा लाइसेंस में निर्धारित अवधियों के भीतर उपर्युक्त सभी शुल्कों, बकायों और प्रभारों अथवा इनके किसी भाग का भुगतान करने में लाइसेंसधारक की असफलता के कारण लाइसेंसप्रदाता को हुई या उसके द्वारा उठाई गई किसी हानि या क्षति अथवा लाइसेंसप्रदाता को होने वाली या उसके द्वारा उठाई जाने वाली किसी हानि अथवा क्षति के लिए लाइसेंसप्रदाता को उस राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं जो.....रु0 (.....रुपये) मात्र से अधिक न हो।

3. हम, बैंक, (आईपीएफआई का नाम) मात्र प्रतिभूति के रूप में ही नहीं बल्कि मुख्य आभारी के रूप में लाइसेंसप्रदाता को मांग पर तुरंत और बिना विलंब के ऐसी राशि जो.....रु0 (.....रुपये) मात्र से अधिक न हो, का भुगतान करने का वचन देते हैं।

4. हम, बैंक, (आईपीएफआई का नाम) एतद्द्वारा इस बात की घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि लाइसेंस धारक ने कथित लाइसेंस के तहत देय लाइसेंस शुल्क या किसी अन्य शुल्क या प्रभार या इनके किसी भाग का भुगतान नहीं किया है या बैंक गारंटी या नवीकरण नहीं कराया है इस बारे में लाइसेंसप्रदाता का निर्णय अंतिम होगा और इसके तहत बैंक द्वारा लाइसेंसप्रदाता को देय राशि अंतिम होगी और हम पर बाध्यकर होगी।

5. हम, बैंक, एतद्द्वारा इस बात की घोषणा करते हैं और सहमति भी देते हैं कि

(क) इसमें समाविष्ट गारंटी इसकी तारीख से छह माह की अवधि के लिए पूर्ण रूप से प्रभावी और लागू रहेगी और यह उक्त लाइसेंस के तहत और प्राधिकारी को देय सभी राशियों का पूर्णतः भुगतान किए जाने